अध्याय–III
वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

3.1 कर प्रशासन

परिवहन विभाग (विभाग) की प्राप्तियों का विनियमन मोटर यान अधिनियम, 1988, (मो0या0अ0), केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989, (के0मो0या0नि0), उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 (उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम), उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान नियमावली, 1998 (उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली), कैरिज बाई रोड अधिनियम, 2007 (कै0बा0रो0अधिनियम), कैरिज बाई रोड नियमावली 2011 (कै0बा0रो0नियमावली), तथा समय–समय पर शासन एवं विभाग द्वारा जारी अध्यादेशों, परिपत्रों एवं शासकीय आदेशों के प्रावधानों के अन्तर्गत होता है।

शासन स्तर पर प्रमुख सचिव परिवहन, उत्तर प्रदेश, प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। करों एवं शुल्कों के निर्धारण एवं संग्रहण की सम्पूर्ण प्रक्रिया परिवहन आयुक्त (प0आ0) उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा शासित एवं पर्यवेक्षित की जाती है जिनकी सहायता मुख्यालय में दो अपर परिवहन आयुक्तों तथा क्षेत्र में छः उप परिवहन आयुक्तों (उ0प0आ0) 19 सम्भागीय परिवहन अधिकारियों (स0प0अ0) तथा 75 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों (स0स0प0अ0) (प्रशासन) द्वारा की जाती है। सम्भागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा परिवहन यानों से सम्बन्धित परमिटों के निर्गम एवं नियंत्रण के सम्पूर्ण कार्य का निर्वहन किया जाता है तथा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा परिवहन यानों एवं गैर परिवहन यानों से सम्बन्धित करों एवं शुल्कों के निर्धारण एवं आरोपण के कार्य का निर्वहन किया जाता है। उप सम्भागीय परिवहन कार्यालयों का सम्पूर्ण प्रशासन सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा प्रशासित किया जाता है।

3.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2015–16 में विभाग ने ₹ 4,410.53 करोड़ के राजस्व की वसूली की। वर्ष 2015–16 के दौरान हमने परिवहन विभाग की कुल 76 इकाइयों में से 44 वार्षिक इकाइयाँ तथा एक द्विवार्षिक इकाई की लेखापरीक्षा की आयोजना की और उपरोक्त आयोजित सभी इकाइयों की नमूना जाँच किया। चयन का आधार राजस्व संग्रह एवं इकाइयों के विगत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन था। हमने कर के कम निर्धारण तथा अन्य अनियमितताओं के ₹ 620.70 करोड़ के 325 मामले पाये जो **सारणी 3.1** में दर्शायी गयी निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं:

सारणी 3.1
लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	श्रेणी	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	"परिवहन विभाग के कार्य–कलाप" की निष्पादन लेखा परीक्षा	1	596.77
2.	कम वसूली		
	• यात्रीकर/ अतिरिक्त कर	65	15.46
	• माल कर	–	–
3.	कर का अपवंचन		
	• यात्रीकर/ अतिरिक्त कर	100	4.72
	• माल कर	–	–
4.	अन्य अनियमिततायें	159	3.75
	योग	**325**	**620.70**

स्रोतः लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना

चार्ट 3.1

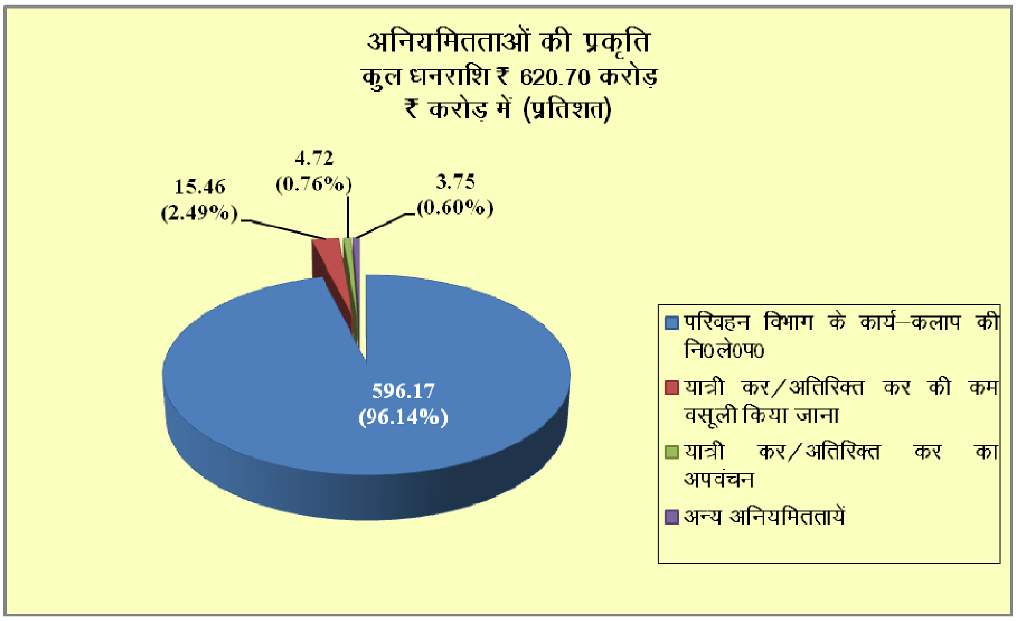

वर्ष के दौरान विभाग ने 52 मामलों में ₹ 569.81 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिनमें से 44 मामलों में सन्निहित धनराशि ₹ 569.76 करोड़ को 2015–16 में इंगित किया गया था तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में थे। वर्ष 2015–16 में 39 प्रकरणों में ₹ 34.06 लाख की धनराशि की वसूली की गयी जिसमें 31 मामलों में सन्निहित धनराशि ₹ 29.41 लाख वर्ष 2015–16 में इंगित किए गये थे एवं शेष पूर्ववर्ती वर्षों के थे।

"परिवहन विभाग के कार्य–कलाप" की निष्पादन लेखा परीक्षा में सन्निहित ₹ 596.77 करोड़ एवं अनुपालन में कमी के कुछ निदर्शी मामलों सन्निहित ₹ 15.69 करोड़ की चर्चा निम्नलिखित प्रस्तरों में की गयी है।

3.3 ''परिवहन विभाग के कार्य–कलाप'' की निष्पादन लेखा परीक्षा

प्रमुख अंश

- नवम्बर 2009 और मार्च 2016 के मध्य 26,592 चार पहिया हल्के माल वाहनों और स्कूल मैक्सी कैब पर एकबारीय कर ₹ 26.79 करोड़ का कम आरोपण किया गया।
(प्रस्तर 3.3.9 एवं 3.3.10)

- नवम्बर 2009 और मार्च 2016 के मध्य नगर निगम क्षेत्र से बाहर संचालित पायी गयी 721 जे0एन0एन0आर0यू0एम0 बसों पर अतिरिक्त कर और अर्थदण्ड ₹ 25.77 करोड़ आरोपित नहीं किया गया और उ0प्र0रा0स0प0नि0 बसों पर अर्थदण्ड ₹ 174.42 करोड़ सम्मिलित करते हुये अतिरिक्त कर ₹ 360.33 करोड आरोपित नहीं किया गया।
(प्रस्तर 3.3.14)

- फरवरी 2014 और मार्च 2016 के मध्य बिना वैध स्वस्थता प्रमाण पत्र के संचालित 9,942 वाहनों पर अर्थदण्ड सम्मिलित करते हुये ₹ 4.56 करोड़ स्वस्थता शुल्क का आरोपण नहीं किया गया। ऐसे वाहनों के संचालन ने लोक सुरक्षा से भी समझौता किया।
(प्रस्तर 3.3.15)

- विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि (उ0प्र0स0प0दु0रा0नि0) की स्थापना न किये जाने के कारण ₹ 109.06 करोड़ दुर्घटना पीड़ितों के लिये अप्रैल 2012 और मार्च 2016 के मध्य जमा नहीं हुआ।
(प्रस्तर 3.3.17)

- अक्टूबर 2012 और मार्च 2016 के मध्य ठेका एवं मंजिली वाहनों पर परमिट शर्तों के उल्लंघन पर प्रशमन शुल्क धनराशि ₹ 4.76 करोड़ की वसूली नहीं की गयी थी।
(प्रस्तर 3.3.18)

- जुलाई 2014 से मार्च 2016 की अवधि के दौरान विभाग द्वारा 839 विभिन्न श्रेणियों के वाहनों जिनको अधिक भार लदान के लिये बन्द किया गया था के प्रकरणों में कैरिज बाई रोड अधिनियम के अन्तर्गत ₹ 2.58 करोड़ की शास्ति आरोपित नहीं की गयी।
(प्रस्तर 3.3.19)

- परिवहन कार्यालयों के पास प्रदूषण प्रमाणपत्र के साथ या बिना प्रदूषण प्रमाणपत्र के संचालित वाहनों के आँकड़े/सूचना न होने के साथ ही साथ वाहनों के प्रदूषण की जाँच के लिये आधारभूत संरचना की कमी थी।
(प्रस्तर 3.3.22)

- 12,41,085 वाहन सन्निहित मूल्य धनराशि ₹ 43,564.38 करोड़ बैंकों में बंधक थे। विभाग द्वारा स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग से वास्तविक स्टाम्प शुल्क के निर्धारण हेतु बन्ध–पत्रों का निरीक्षण नहीं कराया गया। इस प्रकार शासन ₹ 162.70 करोड़ की राजस्व प्राप्ति से वंचित रहा।
(प्रस्तर 3.3.26)

- क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण निर्धारित मानदण्डों के अनुसार नहीं किया गया था। स्वीकृत पदों के सापेक्ष अनुषंगिक कार्मिकों की अत्यधिक कमी के फलस्वरूप कार्य की अधिकता थी और राजस्व के संग्रहण/वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
(प्रस्तर 3.3.29 एवं 3.3.31)

3.3.1 प्रस्तावना

परिवहन विभाग (विभाग) की प्राप्तियों का विनियमन मोटर यान अधिनियम, 1988, (मो0या0अ0), केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989, (के0मो0या0नि0), उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 (उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम), उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 (उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली), कैरिज बाई रोड अधिनियम, 2007(कै0बा0रो0अधिनियम), कैरिज बाई रोड नियमावली, 2011 (कै0बा0रो0नियमावली), तथा समय–समय पर शासन एवं विभाग द्वारा जारी अध्यादेशों, परिपत्रों एवं शासकीय आदेशों के प्रावधानों के अन्तर्गत होता है।

अधिक नियंत्रण, त्वरित अनुश्रवण तथा नागरिकों को बेहतर सेवायें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिये विभाग का मुख्य कार्य चालक अनुज्ञप्ति, पंजीयन प्रमाण–पत्र, स्वस्थता प्रमाण–पत्र, व्यापार प्रमाण–पत्र, राष्ट्रीय परमिट, ठेका वाहन परमिट, मंजिली वाहन परमिट आदि जारी करना है।

गैर परिवहन यान के सम्बन्ध में मोटरयानों का कर, एक बारीय कर 15 वर्षों के लिये वसूल किया जाता है जबकि परिवहन यानों से कर एवं अतिरिक्त कर, उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम में विनिर्दिष्ट दरों पर मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक वसूल किया जाता है।

3.3.2 संगठनात्मक ढ़ाँचा

प्रमुख सचिव परिवहन, उत्तर प्रदेश, शासन स्तर पर परिवहन विभाग के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। करों एवं शुल्कों के निर्धारण एवं संग्रहण की सम्पूर्ण प्रक्रिया परिवहन आयुक्त (प0आ0) उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा शासित एवं पर्यवेक्षित की जाती है जिनकी सहायता मुख्यालय में दो अपर परिवहन आयुक्तों तथा क्षेत्रों में तीन अपर परिवहन आयुक्तों द्वारा किया जाता है।

क्षेत्र स्तर पर मण्डलों में छः उप परिवहन आयुक्तों (उ0प0आ0), परिक्षेत्र में 19 सम्भागीय परिवहन अधिकारियों (स0प0अ0) तथा उप परिक्षेत्र में 75 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों (स0स0प0अ0) (प्रशासन) होते है। सम्भागीय परिवहन अधिकारी परिवहन यानों से सम्बन्धित परमिटों के निर्गम एवं नियंत्रण के सम्पूर्ण कार्य का निर्वहन करते हैं तथा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी परिवहन यानों एवं गैर परिवहन यानों से सम्बन्धित करों एवं शुल्कों के निर्धारण एवं आरोपण के कार्य का निर्वहन करते हैं। उप सम्भागीय परिवहन कार्यालयों का सम्पूर्ण प्रशासन सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारियों के पास होता है।

विभाग के संगठनात्मक ढाँचे का चार्ट निम्नवत है:

चार्ट 3.2 संगठनात्मक ढाँचा

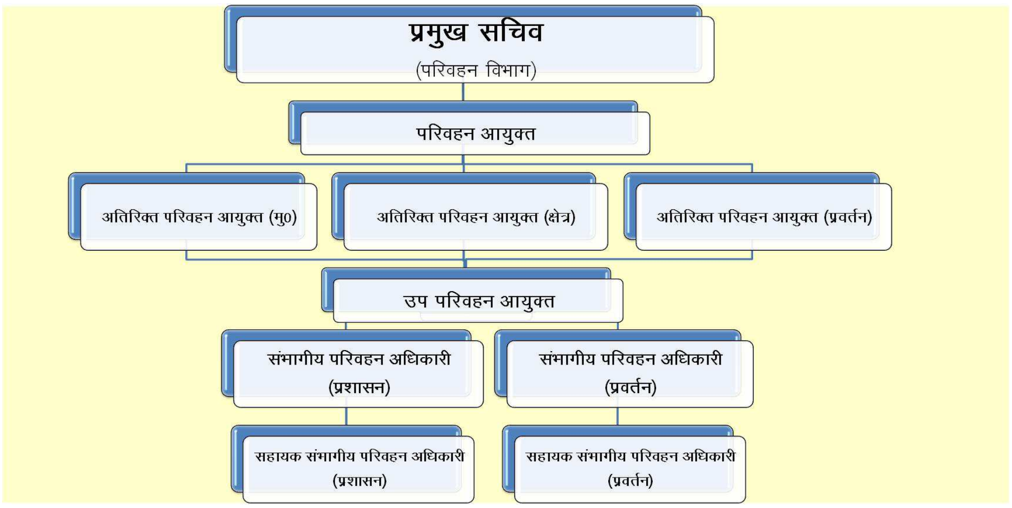

राज्य में 114 प्रवर्तन दल, जिसमें एक सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), एक पर्यवेक्षक और तीन प्रवर्तन सिपाही होते हैं जो मुख्यालय से सम्बद्ध और जनपद स्तर पर तैनात किये गये हैं। मुख्यालय पर एक अतिरिक्त परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) और मण्डलीय[1] स्तर पर छः उप परिवहन आयुक्तों के नियंत्रण एवं देख–रेख में दो विशेष प्रवर्तन दल मुख्यालय में नियुक्त हैं और नौ संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) जनपद स्तर पर नियुक्त हैं।

3.3.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से सम्पादित की गयी थी कि क्या

- राजस्व के आरोपण एवं संग्रहण के लिए तथा समय से शासकीय लेखे में जमा किये जाने हेतु अधिनियमों एवं नियमावलियों के प्रावधानों का अनुपालन किया गया था;
- राजस्व के रिसाव के साथ–साथ वाहन प्रदूषण को रोकने की जाँच/नियंत्रण के लिए प्रवर्तन शाखा के कार्य–कलाप प्रभावी थे; तथा
- राजस्व के संग्रहण के लिए उपयुक्त बजट की तैयारी/लक्ष्य का निर्धारण तथा राजस्व की चोरी/रिसाव को रोकने के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण विद्यमान था।

3.3.4 लेखापरीक्षा का मानदण्ड

लेखापरीक्षा का मानदण्ड निम्न से निर्धारित किया गया:

- मोटर यान अधिनियम, 1988 (मो0या0 अधिनियम),
- केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (के0मो0या0 नियमावली),
- कैरिज बाई रोड अधिनियम, 2007 (कै0बा0रो0अधिनियम),
- कैरिज बाई रोड नियमावली, 2011 (कै0बा0रो0नियमावली),
- उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 (उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम)
- उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 (उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली), और
- समय–समय पर विभाग और शासन द्वारा जारी परिपत्र और अध्यादेश।

3.3.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

परिवहन विभाग के कार्य–कलाप से आच्छादित निष्पादन लेखापरीक्षा 2011–12 से 2015–16 की अवधि के दौरान अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों के अनुरूप कर/शुल्क के आरोपण एवं संग्रहण को सुनिश्चित करने में परिवहन विभाग की दक्षता एवं प्रभावशीलता जानने के उद्देश्य से अक्टूबर 2015 से मई 2016 के मध्य सम्पादित की गयी। हमने निष्पादन लेखापरीक्षा में संवीक्षा हेतु परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय के साथ–साथ 75 में से 19 जनपदीय परिवहन कार्यालयों (ज0प0का0) (सं0प0का0/स0सं0प0का0) का चयन किया।

निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य से हमने 2011–12 से 2015–16 की अवधि में सं0प0अ0/स0सं0प0अ0 द्वारा वसूले गये औसत वार्षिक राजस्व के आधार पर इकाइयों

[1] आगरा, बरेली, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ और वाराणसी।

को उच्च, मध्यम, और निम्न जोखिम[2] क्षेत्रों में विभाजित किया। 19 जिला परिवहन कार्यालयों में उच्च जोखिम क्षेत्र के 13 जिला परिवहन कार्यालयों में से नौ[3] कार्यालय, मध्यम जोखिम क्षेत्र के 31 जिला परिवहन कार्यालयों में से आठ[4] कार्यालय और निम्न जोखिम क्षेत्र के शेष 31 जिला परिवहन कार्यालयों में से दो[5] कार्यालयों का चयन यादृच्छिक प्रतिदर्श आधार पर किया गया।

3.3.6 लेखापरीक्षा की कार्यपद्धति

हमने चयनित जिला कार्यालयों एवं परिवहन आयुक्त कार्यालय में कराधान पंजिका, पंजीयन पंजिका, पत्रावलियाँ, परमिट पंजिका, स्वस्थता प्रमाण–पत्र पंजिका आदि की नमूना जाँच की। अग्रेतर, हमने चयनित जिला परिवहन कार्यालयों से कम्प्यूटराइज्ड आँकड़ें प्राप्त किया। कम्प्यूटराइज्ड आँकड़ों का जिला कार्यालयों में तैयार किये गये हस्त अभिलेखों से मिलान किया।

एक प्रारम्भिक गोष्ठी शासन एवं विभाग के साथ 20 जनवरी 2016 को आयोजित की गयी जिसमें विशेष सचिव, परिवहन विभाग ने शासन तथा परिवहन आयुक्त ने विभाग का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें निष्पादन लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र एवं कार्यपद्धति के बारे में अवगत कराया गया। शासन एवं विभाग के साथ एक समापन गोष्ठी का आयोजन 16 अगस्त 2016 को किया गया जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उपसचिव परिवहन, उत्तर प्रदेश शासन एवं परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग से चर्चा की गयी। शासन/विभाग के अभिमत को संगत प्रस्तरों में शामिल किया गया है।

3.3.7 राजस्व प्राप्तियों का रुझान

2011–12 से 2015–16 की अवधि के दौरान लेखा शीर्ष (0041 एवं 0042) वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर के अन्तर्गत बजट अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियों का विवरण **सारणी 3.2** में दिया गया है:

सारणी 3.2

बजट अनुमान और वास्तविक में भिन्नता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	बजट अनुमान और वास्तविकता में भिन्नता	कमी का प्रतिशत
2011–12	2,329.95	2,380.67	50.72	2.18
2012–13	3,093.90	2,993.96	–99.94	–3.23
2013–14	3,713.00	3,442.01	–270.99	–7.30
2014–15	3,950.00	3,797.58	–152.42	–3.86
2015–16	4,658.00	4,410.53	–247.47	–5.31

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे

[2] उच्च जोखिमः जहाँ वार्षिक राजस्व संग्रहण ₹ 50 करोड़ से अधिक था।
मध्यम जोखिमः जहाँ राजस्व संग्रहण की सीमा ₹ 50 करोड़ से ₹ 20 करोड़ के मध्य थी।
निम्न जोखिमः जहाँ राजस्व संग्रहण ₹ 20 करोड़ से कम थी।

[3] सं0प0अ0 आगरा, इलाहाबाद, बरेली, गाजियाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ, वाराणसी और स0सं0प0अ0 गौतमबुद्ध नगर और मथुरा।

[4] सं0प0अ0 झाँसी, और स0सं0प0अ0 बलिया, फिरोजाबाद, हरदोई, जालौन, रायबरेली, शाहजहांपुर, और उन्नाव।

[5] स0सं0प0अ0 हाथरस और मऊ।

चार्ट 3.3

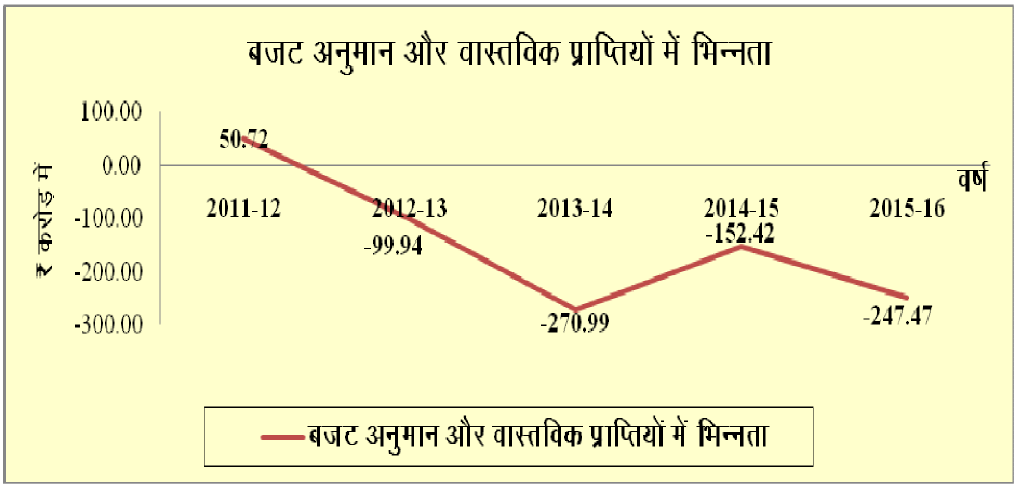

उपर्युक्त चार्ट दर्शाता है कि विभाग 2011–12 को छोड़ कर बजट अनुमान को प्राप्त नहीं कर सका।

समापन गोष्ठी के दौरान, विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बजट अनुमान और वास्तविक प्राप्तियों में अन्तर का कारण बजट अनुमान के आगामी वित्तीय वर्ष के पाँच माह पूर्व ही तैयार होना बताया है। हम विभाग के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि बजट अनुमान की तैयारी यथार्थ नहीं थी। विभाग 2011–12 को छोड़ कर किसी वर्ष में निर्धारित बजट अनुमान को प्राप्त नहीं का सका।

3.3.8 अभिस्वीकृति

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग, लेखापरीक्षा हेतु आवश्यक सूचना एवं अभिलेखों को उपलब्ध कराने के लिए दिये गये सहयोग हेतु परिवहन विभाग का आभार व्यक्त करता है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का अनुपालन न किया जाना

राज्य परिवहन उपक्रम के परिवहन यान/परिवहन यान/गैर परिवहन यान का उपयोग उत्तर प्रदेश में किसी लोक स्थान पर नहीं किया जायेगा, जब तक अतिरिक्त कर/कर तथा विभिन्न शुल्क का भुगतान न कर दिया गया हो। अधिनियम एवं नियमों के विभिन्न धाराओं के उल्लंघन पर हमारे निष्कर्षों सन्निहित धनराशि ₹ 420.65 करोड़, का उल्लेख निम्न प्रस्तरों में किया गया है।

3.3.9 हल्कें चार पहिया माल वाहनों पर एकबारीय कर का कम आरोपण

चार पहिया 25,435 हल्के माल वाहनों पर एकबारीय कर ₹ 24.73 करोड़ कम आरोपित किया गया।

धारा 4 की उपधारा (1) प्रावधानित करती है कि चार पहिया माल यान जिसका लदान रहित वजन 1,000 किलोग्राम से अधिक किन्तु 5,000 किलोग्राम से अनधिक हो पर एकबारीय कर यान के मूल्य का 7 प्रतिशत आरोपित होगा। विभाग ने धारा 4(1) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए चार पहिया माल यान पर यान के मूल्य का 7 प्रतिशत के बजाय एकबारीय कर ₹ 7,600 प्रति मीट्रिक टन से कर का आरोपण किया। उ0प्र0मो0या0 कराधान अधिनियम की धारा 4(1–अ) प्रावधानित करती है कि तीन

पहिया मोटर कैब और माल सहित 3,000 किलोग्राम तक वजन वाले माल वाहन पर, प्रत्येक मीट्रिक टन माल सहित के लिए या आंशिक भाग के लिए एकबारीय कर की दर ₹ 7,600 प्रति मीट्रिक टन आरोपित होगा।

हमने चयनित सं0प0का0/स0सं0प0का0 कार्यालयों के वाहन पत्रावलियों, वाहन डाटा बेस, रसीद बहियों और रोकड़ बहियों की जाँच किया और पाया कि 54,636 में से 25,435 चार पहिया माल वाहन अप्रैल 2011 से मार्च 2016 की अवधि के दौरान पंजीकृत थे। विभाग ने धारा 4(1) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए चार पहिया माल वाहनों पर वाहन के मूल्य का 7 प्रतिशत के बजाय ₹ 7,600 प्रति मीट्रिक टन से एकबारीय कर आरोपित किया। परिणामस्वरूप एकबारीय कर ₹ 24.73 करोड़ का कम आरोपण किया गया।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने बताया कि धारा 4(1–अ) के प्रावधान सभी वाहनों जिनका स0या0भा0 3,000 किलोग्राम से अनधिक हो पर लागू हैं।

हम विभाग के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि धारा 4(1–अ) के प्रावधान केवल तीन पहिया माल यान पर लागू हैं जबकि हमारा प्रेक्षण चार पहिया माल यान पर है जिसमें धारा 4(1) के प्रावधान लागू हैं।

3.3.10 स्कूल मैक्सी कैब वाहनों पर कर का कम आरोपण

स्कूल मैक्सी कैब वाहनों पर ऐसे वाहनों के लिये निर्धारित दर के बजाय एकबारीय कर आरोपित करने के कारण ₹ 2.06 करोड़ का कर कम आरोपित किया गया।

मोटर यान कराधान अधिनियम की धारा 4(2) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में कोई भी परिवहन यान किसी भी सार्वजनिक स्थान पर तब तक उपयोग में नहीं लाया जायेगा जब तक निर्धारित कर का भुगतान न कर दिया गया हो। मोटर कैब (तीन पहिया मोटर कैब को छोड़कर) और मैक्सी कैब पर लागू कर की दर 7 नवम्बर 2010 तक ₹ 550 प्रति सीट प्रति तिमाही तथा 8 नवम्बर 2010 से ₹ 660 प्रति सीट प्रति तिमाही थी। यह भी प्रावधानित था कि मोटर वाहन, जो पूरी तरह शैक्षिक संस्थान के छात्रों के यातायात में और कारखाने के कर्मचारियों को संस्थान ले जाने–ले आने में अनन्य रूप से प्रयुक्त हो पर कर की दर ₹ 550 और ₹ 660 की आधी होगी।

हमने चयनित सं0प0का0/स0सं0प0का0 के वाहन पत्रावलियों, वाहनों के डाटा बेस, रसीद बहियों और रोकड़बहियों की जाँच किया और 13 सं0प0का0/स0सं0प0का0[6] कार्यालयों में पाया कि 2,209 में से 1,057 वाहन शैक्षिक संस्थान के छात्रों और कारखाने के कर्मचारियों के यातायात के लिए पंजीकृत (नवम्बर 2009 से अक्टूबर 2015) थे किन्तु विभाग ने ऐसे वाहनों पर उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम की धारा 4(2) में निर्धारित दर के बजाय एकबारीय कर आरोपित किया। परिणामस्वरूप कर की गलत दर लगाये जाने के कारण ₹ 2.06 करोड़ का कर कम आरोपित किया गया। **(परिशिष्ट–XI)**

---

[6] सं0प0अ0 आगरा, गाजियाबाद, लखनऊ, वाराणसी और स0सं0प0अ0 फिरोजाबाद, गौतमबुद्ध नगर, हरदोई, हाथरस, जालौन, मथुरा, रायबरेली, शाहजहाँपुर, उन्नाव।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने मैक्सी कैब पर लगाये जाने वाले कर के सम्बन्ध में विशिष्ट उत्तर नहीं दिया।

3.3.11 गैर परिवहन (निजी) यानों के पंजीयन का नवीनीकरण न कराया जाना

पंजीयन समाप्त हो चुके 5,597 गैर परिवहन यानों से धनराशि ₹ 72.77 लाख के पुनर्पंजीयन शुल्क, शास्ति, स्वस्थता प्रमाण पत्र शुल्क, प्रमाण पत्र शुल्क और हरित कर की वसूली नहीं हुयी थी।

मो0या0 अधिनियम की धारा 39 के अन्तर्गत प्रत्येक यान का पंजीयन होना आवश्यक है। उक्त अधिनियम की धारा 41 (7) प्रावधानित करती है कि गैर परिवहन[7] यान का पंजीयन 15 वर्ष की अवधि के लिए वैध होता है तथा पंजीयन का नवीनीकरण अनुवर्ती पाँच वर्षों के लिए किया जा सकता है। इसके लिए यान के पुनर्पंजीयन के समय स्वस्थता की जाँच भी आवश्यक है और इस आशय का प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा जिसके लिए ₹ 200 स्वस्थता प्रमाण पत्र शुल्क और ₹ 100 प्रमाण पत्र निर्गमन के लिए आरोपणीय है। अधिनियम की धारा 177 के अधीन गैर परिवहन हल्के मोटर यान के लिए ₹ 200 पुनर्पंजीयन शुल्क तथा विलम्ब की दशा में ₹ 100 शास्ति भी आरोपणीय है।

शासकीय आदेश दिनांक 27 जनवरी 2015 के अनुसार में कोई भी गैर परिवहन[8] यान जिसकी पंजीयन की वैधता मो0या0 अधिनियम के अन्तर्गत समाप्त हो गयी हो किसी भी सार्वजनिक स्थान पर तब तक उपयोग में नहीं लाया जायेगा जब तक इससे सम्बन्धित पंजीयन के समय देय एकबारीय कर का 10 प्रतिशत निर्धारित हरित कर का भुगतान न कर दिया गया हो। मो0या0 अधिनियम की धारा 192 के अनुसार यदि प्रवर्तन शाखा पाती है कि कोई यान धारा 39 के प्रावधानों का उल्लघंन करते हुए प्रयोग में लाया जाता है तो वह प्रथम अपराध के अर्थदण्ड, जो ₹ 5,000 तक विस्तारित हो सकेगा किन्तु ₹ 2,000 से कम नहीं होगा, से दण्डनीय होगा।

हमने चयनित सं0प0का0/स0सं0प0का0 के वाहन पत्रावलियों, वाहनों के डाटाबेस, रसीद बहियों और रोकड़बहियों की जाँच किया और 16 सं0प0का0/स0सं0प0का0 में पाया कि 15,276 में से 5,597 गैर परिवहन हल्के मोटर यान जनवरी 1990 से फरवरी 2001 के दौरान 15 वर्षों की अवधि के लिए पंजीकृत हुऐ थे। उक्त यानों का पंजीयन जनवरी 2005 और मार्च 2016 के मध्य समाप्त हो गया था। इनमें से किसी भी प्रकरण में प्रासंगिक अधिनियम के अन्तर्गत वाहन स्वामी के पते का परिवर्तन या मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत पंजीयन का निरस्तीकरण अभिलेखों में नहीं पाया गया किन्तु इनमें से किसी भी वाहन का पुनः पंजीयन नहीं हुआ था तथा प्रवर्तन शाखा इन वाहनों को पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध करने में विफल रहा। विभाग द्वारा मांग, संग्रह और बकाया (डी0सी0बी0) पंजिका/अन्य पंजिकाओं की समय–समय पर समीक्षा भी नहीं हुयी। परिणामस्वरूप पुनर्पंजीयन शुल्क, शास्ति, स्वस्थता प्रमाण पत्र शुल्क, प्रमाण पत्र शुल्क और हरित कर की धनराशि ₹ 72.77 लाख की वसूली नहीं की गयी **(परिशिष्ट–XII)**।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने बताया कि सामान्यतः जब वाहन स्वामी पुनर्पंजीयन के लिये आता है पंजीयन प्राधिकारी के निरीक्षण के उपरान्त सभी देय आरोपित किये जाते हैं। तथापि विभाग का अभिमत स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि हमने नमूना जाँच के किसी भी प्रकरण में शुल्क और कर का आरोपण नहीं पाया।

---

[7] गैर परिवहन यान /निजी वाहनों का उपयोग लोक उद्देश्य हेतु नहीं किया जाता है।

[8] परिवहन यानों का उपयोग लोक उद्देश्यों हेतु किया जाता है।

शासन पंजीकृत गैर परिवहन यानों (निजी वाहनों) जिनके पंजीयन की वैधता समाप्त हो गयी है, की पहचान के लिये समय–समय पर समीक्षा करने पर विचार कर सकता है।

3.3.12 अन्य राज्यों के वाहनों को पंजीयन चिन्ह का आवंटन न किया जाना

अन्य राज्यों से आये वाहनों को राज्य का पंजीयन चिन्ह आवंटित नहीं किया गया, इस प्रकार, सड़क पर संचालित पाये गये 1,621 अन्य राज्य के वाहनों से समनुदेशन शुल्क धनराशि ₹ 7.70 लाख वसूल नहीं किया गया।

मो0या0 अधिनियम की धारा 47 (1) तथा के0मो0या0 नियमावली के नियम 81 के प्रावधानों के अन्तर्गत जब एक राज्य में पंजीकृत कोई मोटर यान दूसरे राज्य में 12 महीने से अधिक अवधि तक रखा जाता है, तब वाहन स्वामी उस राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर पंजीयन अधिकारी को नया पंजीयन चिन्ह प्रदान करने के लिए आवेदन करेगा तथा उस पंजीयन प्राधिकारी को पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। भारी, मध्यम, हल्के यान तथा गैर परिवहन यान को पंजीयन चिन्ह आवंटन के लिए देय शुल्क क्रमशः ₹ 600, ₹ 400, ₹ 300 तथा ₹ 200 है।

हमने चयनित सं0प0का0/स0सं0प0का0 के वाहनों के डाटाबेस और वाहनों की पत्रावलियों की जाँच किया और 11[9] सं0प0का0/स0सं0प0का0 में पाया कि दूसरे राज्यों में पंजीकृत 2,461 में से 1,621 वाहन उत्तर प्रदेश (उ0प्र0) में लाये गये एवं पंजीकृत हुये (जनवरी 2011 से मार्च 2015) एक वर्ष से अधिक अवधि से उत्तर प्रदेश में संचालित थे। यद्यपि वाहनों के स्वामी एक वर्ष से अधिक अवधि से उत्तर प्रदेश में कर जमा कर रहे थे फिर भी उन्होंने नये पंजीयन चिन्ह आबंटन करने हेतु आवेदन नहीं किया। विभाग ने नये पंजीयन चिन्ह आबंटन करने के लिए नोटिस जारी नहीं किया और प्रवर्तन शाखा ने इन वाहनों को निरुद्ध नहीं किया। इस प्रकार, शासन को ₹ 7.70 लाख के राजस्व से वंचित होना पडा।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि जनपदों में वाहन वार विवरण तैयार कराया जा रहा है।

3.3.13 अभ्यर्पित वाहनों से कर/अतिरिक्त कर वसूल न किया जाना

कराधान अधिकारियों ने 2,433 वाहनों में से 458 वाहनों जो तीन कैलेन्डर माह से अधिक की अवधि के लिए समर्पित किये गये थे, से देय कर/अतिरिक्त कर की धनराशि ₹ 1.18 करोड़ की वसूली नहीं की ।

उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली का नियम 22 प्रावधानित करता है कि जब परिवहन यान स्वामी अपने मोटरयान को एक माह या अधिक अवधि के लिए प्रयोग से बाहर करता है तो कराधान अधिकारी को पंजीयन प्रमाण पत्र, कर प्रमाण पत्र, अतिरिक्त कर प्रमाण पत्र, स्वस्थता प्रमाण पत्र व परमिट, यदि कोई हो, अवश्य अभ्यर्पित करना होगा। कराधान अधिकारी एक कैलेन्डर वर्ष में, तीन कैलेन्डर माह से अधिक, किसी वाहन के प्रयोग न किये जाने की सूचना स्वीकार नहीं करेगा तथापि, यदि स्वामी निर्धारित शुल्क के साथ कराधान अधिकारी को आवेदन करता है तो सम्बन्धित सम्भाग के सम्भागीय परिवहन अधिकारी तीन कैलेन्डर माह से अधिक की अवधि हेतु अभ्यर्पण स्वीकार कर सकेगा। यदि ऐसा कोई वाहन सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा समर्पण की अवधि में विस्तार की स्वीकृति के बिना एक वर्ष के दौरान तीन कैलेन्डर माह से अधिक अवधि के लिए अभ्यर्पित बना रहता है, तो अभ्यर्पण रद्द माना जायेगा और वाहन स्वामी

[9] सं0प0अ0 इलाहाबाद, गाजियाबाद, वाराणसी और स0सं0प0अ0 बलिया, फिरोजाबाद, हरदोई, हाथरस, जालौन, मथुरा, मऊ और रायबरेली।

यथास्थिति कर और अतिरिक्त कर भुगतान करने का उत्तरदायी होगा। पुनश्च, उप नियम (4) में निहित प्रावधानों के अधीन समर्पित वाहन का स्वामी, जिसके सम्बन्ध में प्रयोग न करने की सूचना पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है, किसी भी कैलेन्डर वर्ष में तीन माह के बाद की अवधि के लिए कर एवं अतिरिक्त कर का भुगतान करने का दायी होगा चाहे कराधान अधिकारी से अभ्यर्पित दस्तावेज वापस लिए गये हों अथवा नहीं।

हमने चयनित सं0प0का0/स0सं0प0का0 के अभ्यर्पण पंजिका, वाहनों की पत्रावलियों, यात्री कर पंजिका और माल कर पंजिका की जाँच किया और 16 सं0प0का0/स0सं0प0का0 में पाया कि जनवरी 2014 से नवम्बर 2015 की अवधि के दौरान 2,433 में से 458 वाहन एक वर्ष में तीन कैलेन्डर माह से अधिक की अवधि के लिए समर्पित थे। यद्यपि सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा तीन माह से अधिक समर्पण की अवधि का विस्तार प्रदान नहीं किया गया लेकिन कराधान अधिकारियों ने उन पर देय कर/अतिरिक्त कर की वूसली हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की तथा प्रवर्तन शाखा वाहनों को पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध करने में असफल रही। परिणामस्वरूप कर/अतिरिक्त कर की धनराशि ₹ 1.18 करोड़ की वसूली नहीं हुयी **(परिशिष्ट-XIII)**।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि सभी सं0प0का0/स0सं0प0का0 को इस प्रकार के प्रकरणों में कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

3.3.14 जे0एन0एन0यू0आर0एम0 और यू0पी0एस0आर0टी0सी0 बसों पर अतिरिक्त कर का अनारोपण

3.3.14.1 जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों पर अतिरिक्त कर का अनारोपण

नगर निगम क्षेत्र से बाहर संचालित पायी गयी नगरीय परिवहन सेवायें लिमिटेड के अन्तर्गत 721 जे0एन0एन0आर0यू0एम0 बसों पर अतिरिक्त कर ₹ 25.77 करोड़ आरोपित नहीं किया गया।

राज्य परिवहन उपक्रम का कोई परिवहन यान उत्तर प्रदेश में किसी सार्वजनिक स्थान पर तब तक प्रयोग में नहीं लाया जायेगा जब तक कि उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित अतिरिक्त कर का भुगतान न कर दिया गया हो। नगर निगम या नगर पालिका क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत संचालित राज्य परिवहन उपक्रम के वाहन अतिरिक्त कर के भुगतान से मुक्त रहेंगे।

हमने चयनित सं0प0का0/स0सं0प0का0 कार्यालयों मे मार्ग एवं कर पत्रावलियों, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (उ0प्र0रा0स0प0नि0) द्वारा प्रस्तुत विवरणियों और चालान की जाँच की और छः[10] सं0प0का0/स0सं0प0का0 कार्यालयों में पाया कि नवम्बर 2009 और मार्च 2016 के मध्य नगरीय परिवहन सेवायें लिमिटेड के अन्तर्गत 1,020 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जे0एन0एन0यू0आर0एम0) की बसों में से 721 बसें नगर निगम क्षेत्र से बाहर संचालित हो रही थीं एवं अतिरिक्त कर ₹ 25.77 करोड़

---

[10] सं0प0अ0 आगरा, इलाहाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ, वाराणसी और स0सं0प0अ0 मथुरा।

के भुगतान की दायी थीं। परिवहन अधिकारियों ने इन वाहनों पर कोई कार्यवाही, यथा अतिरिक्त कर जमा करने हेतु नोटिस निर्गत करना, विभाग की प्रवर्तन शाखा द्वारा पुलिस की अभिरक्षा में वाहनों को निरुद्ध करना या अतिरिक्त कर जमा न करने पर वसूली प्रमाण पत्र निर्गत करना, प्रारम्भ नहीं की। परिणामस्वरूप अतिरिक्त कर ₹ 25.77 करोड़ आरोपित नहीं हुआ।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और सभी परिवहन अधिकारियों को ऐसी बसों जो नगर निगम क्षेत्र के बाहर संचालित पायी जाती हैं के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने हेतु निर्देशित किया।

3.3.14.2 उ0प्र0रा0स0प0नि0 बसों पर अतिरिक्त कर एवं अर्थदण्ड का अनारोपण

उ0प्र0रा0स0प0नि0 बसों पर अतिरिक्त कर ₹ 185.91 करोड़ एवं अर्थदण्ड ₹ 174.42 करोड़ आरोपित नहीं किया गया।

राज्य परिवहन उपक्रम का कोई परिवहन यान उत्तर प्रदेश के किसी सार्वजनिक स्थान पर तब तक प्रयोग में नहीं लाया जायेगा जब तक कि उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (1) के साथ पठित उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली के नियम 9 और 24 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित अतिरिक्त कर का भुगतान न कर दिया गया हो। प्रमुख सचिव ने 20 फरवरी 2006 के पत्र द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0स0प0नि0 को देय सम्पूर्ण अतिरिक्त कर सीधे कोषागार में जमा कराने तथा मूल चालान को मुख्यालय कार्यालय को प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया था। माह के 15 तारीख के पश्चात विलम्ब से कर/अतिरिक्त कर का भुगतान किये जाने के मामले में देय कर/अतिरिक्त कर का 5 प्रतिशत की दर से अर्थदण्ड आरोपणीय था।

हमने चयनित सं0प0का0/स0सं0प0का0 और परिवहन आयुक्त कार्यालयों के कर/अतिरिक्त कर की पत्रावलियों के अभिलेखों, कर विवरणी एवं चालानों की जाँच किया और देखा कि उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम, 1997 के अनुसार कर/अतिरिक्त कर का निर्धारण एवं आरोपण परिवहन विभाग द्वारा किया जाना चाहिए था तथा प्रमुख सचिव का आदेश केवल कर जमा करने के लिए मार्च 2007 तक लागू था। उ0प्र0रा0स0प0नि0 मार्च 2007 के बाद कर के निर्धारण एवं कोषागार में जमा करने के लिए अधिकृत नहीं था। किन्तु इन प्रकरणों में उ0प्र0रा0स0प0नि0 के द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत सड़क पर संचालित बसों पर अतिरिक्त कर को निर्धारित एवं जमा किया गया और तदन्तर मार्च 2011 तक वसूली हेतु ₹ 745.27 करोड़ का बकाया सृजित हो गया। सड़क पर संचालित 44,674 बसों पर निरन्तर अतिरिक्त कर का कम निर्धारण/भुगतान किये जाने के कारण अप्रैल 2011 से मार्च 2016 के दौरान वसूली हेतु ₹ 185.91 करोड़ का अतिरिक्त बकाया हो गया। इसके अतिरिक्त ₹ 174.42 करोड़ अर्थदण्ड भी आरोपणीय था। दस वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी विभाग ने उ0प्र0रा0स0प0नि0 के

अन्तर्गत संचालित वाहनों पर अतिरिक्त कर के निर्धारण एवं वसूली हेतु कोई प्रयास नहीं किया। परिणामस्वरूप अर्थदण्ड ₹ 174.42 करोड़ आरोपित करने के अलावा, अतिरिक्त कर ₹ 185.91 करोड़ का आरोपण नहीं किया गया। विवरण **सारणी 3.3** में दर्शाये गये हैं।

सारणी 3.3

उ0प्र0रा0स0प0नि0 बसों पर अतिरिक्त कर एवं अर्थदण्ड का अनारोपण

						(₹ करोड़ में)
कम सं0	**वर्ष**	**वाहनों की कुल संख्या**	**वर्ष के दौरान देय अतिरिक्त कर**	**वर्ष के दौरान जमा अतिरिक्त कर**	**वर्ष के दौरान शेष रहा अतिरिक्त कर**	**31.03.2016 तक देय अर्थदण्ड**
1.	2011–12	8,325	222.61	124.00	98.61	98.61
2.	2012–13	8,634	220.95	176.16	44.79	44.79
3.	2013–14	9,318	230.84	200.54	30.30	30.30
4.	2014–15	9,128	227.43	227.22	00.21	00.12
5.	2015–16	9,269	225.00	213.00	12.00	00.60
	योग	**44,674**	**1,126.83**	**940.92**	**185.91**	**174.42**

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित उपलब्ध सूचना

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने उ0प्र0रा0स0प0नि0 की बसों से अतिरिक्त कर एवं अर्थदण्ड की वसूली हेतु नोटिस जारी करने हेतु हमें आश्वासन दिया।

शासन उ0प्र0रा0स0प0नि0 के अन्तर्गत संचालित चूककर्ता वाहनों से राजस्व के संग्रहण के अनुश्रवण हेतु कर, संग्रह एवं बकाया पंजिका की समय–समय पर समीक्षा के लिए और अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों का कठोर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु एक तंत्र स्थापित कर सकता है।

3.3.15 वाहनों के स्वस्थता प्रमाण पत्र का नवीनीकरण न किया जाना

देय कर का भुगतान स्वीकार करते समय कदाचित वैध स्वस्थता प्रमाण पत्र है, की पड़ताल करने की विभाग में कोई प्रणाली नहीं है। परिणामस्वरूप 9,942 वाहन बिना वैध स्वस्थता प्रमाण पत्र के संचालित थे और स्वस्थता शुल्क ₹ 57.69 लाख तथा शास्ति ₹ 3.98 करोड़ आरोपण के लिये दायी थे।

मो0या0 अधिनियम की धारा 56 सपठित धारा 84 तथा 86 एवं उसके अधीन निर्मित के0मो0या0 नियमावली, 1989 के नियम 62 के अनुसार कोई परिवहन यान वैध रूप से पंजीकृत नहीं माना जायेगा जब तक कि उसके पास स्वस्थता प्रमाण पत्र न हो। नये पंजीकृत परिवहन यान के सम्बन्ध में जारी स्वस्थता प्रमाण पत्र दो वर्षों के लिए वैध होता है और प्रत्येक वर्ष उसका नवीनीकरण करना आवश्यक है और विफलता की दशा में उसका परमिट निरस्त अथवा एक निश्चित अवधि के लिये निलम्बित किया जा सकता है। तिपहिया, हल्के, मध्यम एवं भारी वाहनों के लिए निर्धारित जाँच फीस क्रमशः ₹ 100, ₹ 200, ₹ 300 एवं ₹ 400 का भुगतान किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त सभी श्रेणी के वाहनों पर स्वस्थता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु ₹ 100 का नवीनीकरण शुल्क भी आरोपणीय है। चूक की दशा में निर्धारित फीस के बराबर अतिरिक्त धनराशि भी आरोपणीय है। मो0या0 अधिनियम, 1988 की धारा 192 के अन्तर्गत बिना स्वस्थता प्रमाण पत्र के वाहन का संचालन अधिसूचना दिनांक 25 अगस्त 2010 के द्वारा ₹ 4,000 की दर से शमनीय होता है।

हमने चयनित सं0प0का0/स0सं0प0का0 की कर पंजिकाओं, वाहन पत्रावलियों, वाहन डाटाबेस, रसीद बहियों एवं रोकड़ बहियों की जाँच किया और देखा कि 30,457 में से 9,942 वाहन फरवरी 2014 और मार्च 2016 के मध्य वैध स्वस्थता प्रमाण पत्र के बिना

संचालित थे यद्यपि उनसे देय कर वसूल किया गया था। वाहन सॉफ्टवेयर में स्वस्थता प्रमाण पत्र समाप्ति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध थी किन्तु विभाग इन प्रकरणों को चिन्हित करने में विफल रहा। वाहन स्वामियों को जहाँ स्वस्थता समाप्त हो चुकी थी, कर के भुगतान से रोकने हेतु विशिष्ट गुण उपलब्ध नहीं था। इन वाहनों जिनका स्वास्थता प्रमाण पत्र बहुत पहले ही कालातीत हो चुका था, के परमिट को निरस्त करने के लिए नोटिस जारी करने हेतु विभाग ने न तो कोई कार्यवाही प्रारम्भ की और न ही चूककर्ता वाहन स्वामियों पर मो0या0 अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई अर्थदण्ड आरोपित किया। यह स0स0प0अ0 (प्रशासन) की जिम्मेदारी थी कि ऐसे वाहनों को चिन्हित करे और प्रवर्तन शाखा के सहयोग से ऐसे वाहनों को रोकें। ऐसे वाहनों का संचालन लोक सुरक्षा के साथ समझौता भी था। ऐसे वाहन स्वस्थता शुल्क ₹ 57.69 लाख तथा शास्ति ₹ 3.98 करोड़ के आरोपण के दायी थे (**परिशिष्ट –XIV**)।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि वाहनवार विवरण तैयार किये जा रहे हैं और बिना स्वस्थता के संचालित पाये जाने वाले वाहनों पर अर्थदण्ड आरोपित होगा। इस प्रकार विभाग ऐसे चूककर्ता वाहनों के बारे में अवगत था किन्तु उनके सड़क पर संचालन को रोकने में असफल रहा जो कि लोक सुरक्षा से समझौता था।

विभाग को राजस्व की हानि से बचने और जनसुरक्षा के हित में देय कर के भुगतान को स्वीकार करते समय सभी वाहनों के स्वस्थता की जाँच करने के लिये त्वरित कदम उठाना चाहिए।

3.3.16 परमिट में अनियमिततायें

3.3.16.1 बिना परमिट के संचालित वाहनों पर परमिट शुल्क, आवेदन शुल्क एवं अर्थदण्ड शुल्क का आरोपित न किया जाना

परमिट के नवीनीकरण के बिना सड़क पर संचालित 625 वाहनों से परमिट शुल्क, आवेदन शुल्क एवं शमन शुल्क धनराशि ₹ 45.43 लाख वसूल नहीं किया गया।

मो0या0 अधिनियम की धारा 66 प्रावधानित करती है कि बिना वैध परमिट के कोई वाहन स्वामी मोटर यान का प्रयोग एक परिवहन यान के रूप में किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं करेगा या प्रयोग की अनुमति नही देगा। मोटर यान अधिनियम की धारा 81 के अनुसार अस्थायी परमिट से भिन्न परमिट की वैधता पाँच वर्ष की अवधि के लिए है। उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली के नियम 125 में नये परमिट जारी करने के लिए, इसके नवीनीकरण के लिए और आवेदन के लिए शुल्क की दर निर्धारित है। मो0या0 अधिनियम की धारा 192 के अन्तर्गत बिना परमिट के संचालित वाहन ₹ 4,000 की दर से शमनीय हैं।

हमने चयनित सं0प0का0/स0सं0प0का0 के वाहन पत्रावलियों, परमिट रजिस्टर, रसीद बहियों और रोकड़ बहियों की जाँच की और परिवहन आयुक्त एवं पाँच[11] सं0प0अ0 कार्यालयों में पाया कि 10,358 में से 625 ठेका वाहन, आटो/तिपहिया वाहन, मंजिली वाहन, स्कूल वाहन एवं माल वाहन परमिट की वैधता समाप्त होने के बाद भी परमिट का नवीनीकरण कराये बिना सड़क पर संचालित थे (फरवरी 2010 से मार्च 2016)। परमिट की समाप्ति से सम्बन्धित सूचना वाहन सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध थी किन्तु विभाग इन प्रकरणों को चिन्हित करने में असफल रहा। विभाग ने न तो परमिट शुल्क, आवेदन शुल्क और अर्थदण्ड की वसूली की और न ही कोई कार्यवाही यथा मो0या0 अधिनियम

[11] सं0प0अ0 आगरा, गाजियाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ और वाराणसी।

की धारा 66(1), 192 एवं के0मो0या0 नियमावली के नियम 125 के अन्तर्गत इन वाहनों को जब्त एवं निरुद्ध करने तथा परमिट स्वामियों को परमिट निरस्तीकरण हेतु नोटिस जारी करना, प्रारम्भ की। परिणामस्वरूप परमिट शुल्क, आवेदन शुल्क एवं अर्थदण्ड की धनराशि ₹ 45.43 लाख वसूल नहीं की गयी।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने बताया कि शास्ति केवल तभी आरोपित होगी एवं वसूली जायेगी जब वाहन सड़क पर बिना परमिट संचालित पाया जाता है और यह वाहन स्वामियों द्वारा परमिट नवीनीकरण न कराये जाने के आधार पर आरोपणीय नहीं होती है।

वास्तविकता यह है कि लेखापरीक्षा ने उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर देखा एवं निर्धारण किया कि 625 वाहन परमिट की वैधता की समाप्ति के बाद भी बिना नवीनीकरण कराये सड़क पर संचालित थे। विभाग के पास सूचना उपलब्ध होने के बावजूद प्रवर्तन शाखा को यह ऐसे वाहनों के अकड़े उपलब्ध कराने में विफल रहा। परिणामस्वरुप प्रर्वतन शाखा ऐसे वाहनों को निरुद्ध करने और शास्ति आरोपित करने के अपने कर्तव्य के निर्वहन में विफल रही।

3.3.16.2 राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार एवं अखिल भारतीय पर्यटक परमिट का नवीनीकरण न किया जाना

मो0या0अ0 की धारा 81 प्रावधानित करती है कि एक परमिट पाँच वर्षों के लिए वैध होता है। के0मो0या0 नियमावली के नियम 83 एवं 87(3) के अनुसार अखिल भारतीय पर्यटक परमिट और राष्ट्रीय परमिट का प्राधिकार एक वर्ष के लिए होता है। परिवहन आयुक्त के फरवरी 2000 के आदेश के अनुसार सम्बन्धित अधिकारी प्राधिकार पत्र के समाप्ति के 15 दिनों के भीतर परमिट धारक से प्राधिकार पत्र नवीनीकरण न कराये जाने पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु कि क्यों न उसका परमिट निरस्त कर दिया जाय का नोटिस निर्गत करेंगे और निर्धारित समय में स्पष्टीकरण प्राप्त नही होने पर परमिट को निरस्त करेंगे।

• राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार का नवीनीकरण नहीं किया गया

बिना राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार का नवीनीकरण कराये सड़क पर संचालित पाये गये 393 माल वाहनों से समेकित एवं प्राधिकार शुल्क धनराशि ₹ 68.78 लाख वसूल नहीं की गयी।

राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार हेतु, प्राधिकार के लिये समेकित फीस ₹ 16,500 वार्षिक के साथ प्रार्थनापत्र शुल्क हेतु धनराशि ₹ 1,000 शासकीय खाते में जमा किया जाना था।

हमने चयनित सं0प0का0/स0सं0प0का0 के वाहन पत्रावलियों, परमिट रजिस्टरों, रसीद बहियों और रोकड़ बहियों की जाँच किया और आठ[12] सं0प0अ0 कार्यालयों में देखा कि 3,150 में से 393 राष्ट्रीय परमिट से आच्छादित माल वाहन के परमिट की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद भी बिना राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार पत्र का नवीनीकरण कराये, सड़क पर संचालित हो रहे थे (मार्च 2015 से मार्च 2016)। यह सभी सूचनायें वाहन

[12] सं0प0अ0 आगरा, इलाहाबाद, बरेली, गाजियाबाद, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ और वाराणसी।

सॉफ्टवेयर पर भी उपलब्ध थीं जिनका विश्लेषण उ0प्र0मो0या0 नियमावली, 1998 के नियम 55(7), 56(7) के अनुसार राज्य स्तर पर परिवहन विभाग के एक अधिकारी को जो उप परिवहन आयुक्त से निम्न श्रेणी का न हो के द्वारा और सम्भागीय परिवहन कार्यालय स्तर पर परिवहन विभाग के सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण का पदेन सचिव द्वारा किया जाना अपेक्षित था। तथापि, विभाग की प्रवर्तन शाखा मो0या0 अधिनियम की धारा 192 के अन्तर्गत न तो इन वाहनों का पता लगा पायी और न ही विभाग ने परमिट के निरस्तीकरण करने हेतु उन परमिट स्वामियों को नोटिस जारी किया। अभिलेखों की भौतिक जाँच एवं डिजिटल आँकड़ों के सूक्ष्म परीक्षण का अभाव था। इस प्रकार उन सं0प0अ0 कार्यालयों में राष्ट्रीय परमिट के प्रचलन के दौरान प्राधिकार की अनुवर्ती निगरानी हेतु अनुश्रवण तंत्र का अभाव था। परिणामस्वरूप समेकित शुल्क एवं प्राधिकार पत्र शुल्क की धनराशि ₹ 68.78 लाख़ की वसूली नहीं की गयी थी।

- **अखिल भारतीय पर्यटक परमिट के प्राधिकार का नवीनीकरण नहीं किया गया**

प्राधिकार का नवीनीकरण कराये बिना सड़क पर संचालित पाये गये 938 पर्यटक वाहनों से प्राधिकार शुल्क एवं कोर्ट शुल्क धनराशि ₹ 6.57 लाख़ वसूल नही किया गया।

अखिल भारतीय पर्यटक परमिट प्राधिकार के लिए, प्राधिकार हेतु प्राधिकार शुल्क ₹ 500 प्रति वर्ष के साथ कोर्ट शुल्क की धनराशि ₹ 200 शासकीय खाते में जमा होना था।

हमने चयनित सं0प0का0 के वाहन पत्रावलियों, परमिट रजिस्टरों, रसीद बहियों और रोकड़ बहियों की जाँच किया और पाँच[13] सं0प0का0 में देखा कि 6,000 में से 938 अखिल भारतीय परमिट से आच्छादित पर्यटक वाहन परमिट की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद भी अखिल भारतीय पर्यटक परमिट के प्राधिकार का नवीनीकरण कराये बिना, सड़क पर संचालित थे (जून 2014 से मार्च 2016)। यह सभी सूचनायें वाहन सॉफ्टवेयर पर भी उपलब्ध थीं जिनका विश्लेषण उ0प्र0मो0या0 नियमावली, 1998 के नियम 55(7), 56(7) के अनुसार राज्य स्तर पर परिवहन विभाग के एक अधिकारी को जो उप परिवहन आयुक्त से निम्न श्रेणी का न हो के द्वारा और सम्भागीय परिवहन कार्यालय स्तर पर परिवहन विभाग के सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण का पदेन सचिव द्वारा किया जाना अपेक्षित था। तथापि, विभाग की प्रवर्तन शाखा मो0या0 अधिनियम की धारा 192 के अन्तर्गत न तो इन वाहनों का पता लगा पायी और न ही विभाग ने परमिट के निरस्तीकरण करने हेतु उन परमिट स्वामियों को नोटिस जारी किया। अभिलेखों की भौतिक जाँच एवं डिजिटल आँकड़ों के सूक्ष्म परीक्षण का अभाव था। इस प्रकार उन सं0प0अ0 कार्यालयों में अखिल भारतीय पर्यटक परमिट के प्रचलन के दौरान प्राधिकार की अनुवर्ती निगरानी हेतु अनुश्रवण तंत्र का अभाव था। परिणामस्वरूप प्राधिकार शुल्क एवं कोर्ट शुल्क धनराशि ₹ 6.57 लाख़ की वसूली नहीं की गयी।

---

[13] सं0प0अ0 बरेली, गाजियाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ और वाराणसी।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया।

3.3.17 दुर्घटना राहत निधि की स्थापना न किया जाना और इसका प्रभाव

विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि (उ0प्र0स0प0दु0रा0नि0) की स्थापना न किये जाने के कारण दुर्घटना पीड़ितों के लिये अप्रैल 2012 से मार्च 2016 के मध्य ₹ 109.06 करोड़ जमा नहीं किये जा सके।

2009 में यथा संशोधित, उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम, 1997 की धारा–8(1) के प्रावधानों के अनुसार किसी दुर्घटना जिसमें सार्वजनिक सेवा यान शामिल हो, के पीड़ित यात्रियों या अन्य व्यक्तियों को या ऐसे यात्रियों या अन्य व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों को राहत देने के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार एक निधि स्थापित करेगी जो उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि (उ0प्र0स0प0दु0रा0नि0) कही जायेगी। धारा–4 के अधीन उद्ग्रहीत कर के दो प्रतिशत और धारा–6 के अधीन उद्ग्रहीत अतिरिक्त कर के दो प्रतिशत के बराबर धनराशि, उक्त निधि में जमा की जायेगी।

हमने परिवहन आयुक्त कार्यालय के राजस्व प्राप्तियों के मासिक विवरण की जाँच किया और पाया कि अप्रैल 2012 और मार्च 2016 की अवधि के मध्य विभाग द्वारा माल और यात्री वाहनों से कर और अतिरिक्त कर के रूप में ₹ 5,453.04 करोड़ वसूल किया गया था। इस धनराशि का दो प्रतिशत ₹ 109.06 करोड़ उ0प्र0स0प0दु0रा0नि0 में जमा किया जाना था लेकिन विभाग द्वारा इसे निधि में जमा नहीं कराया गया क्योंकि ऐसी कोई निधि स्थापित नहीं की गयी थी। हमने आगे देखा कि वर्ष 2012–13 से 2015–16 के दौरान सार्वजनिक सेवायान से दुर्घटना के 334 मामलों में यात्रियों या इन यात्रियों के उत्तराधिकारियों को क्षतिपूर्ति की धनराशि ₹ 49.02 लाख का भुगतान बजट के मुख्य शीर्ष ''2235–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण'' से किया गया। निधि स्थापना में विफलता ने अधिनियम के प्रावधान का उद्देश्य निष्प्रभावी कर दिया और क्षतिपूर्ति का भुगतान राज्य के राजस्व बजट से करना पड़ा।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि उ0प्र0स0प0दु0रा0नि0 की स्थापना के लिए नियमों में संशोधन की प्रक्रिया प्रगति में है।

प्रवर्तन शाखा की प्रभावशीलता

राज्य के परिवहन विभाग की प्रवर्तन शाखा के नियामक कार्यों में अपंजीकृत वाहनों का संचालन/बिना परमिट के वाहन/चालक अनुज्ञप्ति/स्वास्थता प्रमाण पत्र/प्रदूषण का मानक/अधिक भार लदे वाहन/कर अपवंचन और अधिनियम/नियमों के उल्लंघन के अपराधों की जाँच सम्मिलित है। उपर्युक्त कार्यों पर प्रवर्तन शाखा के कार्य–कलाप में पायी गयी कमियों में सन्निहित ₹ 8.85 करोड़ की चर्चा निम्नलिखित प्रस्तरों में की गयी है।

3.3.18 ठेका एवं मंजिली वाहनों पर प्रशमन शुल्क का आरोपण नहीं किया गया

3.3.18.1 परमिट की शर्तों के उल्लंघन में ठेका वाहनों पर प्रशमन शुल्क का आरोपण नहीं किया गया।

परमिट की शर्तों के उल्लंघन करते हुए सड़क पर संचालित पाये गये 10,241 ठेका वाहनों से प्रशमन शुल्क धनराशि ₹ 4.10 करोड़ की वसूली नहीं की गयी।

उ0प्र0मो0या0 नियमावली के नियम 70 के अन्तर्गत मोटर कैब से भिन्न ठेका पर चलने

वाले वाहन का स्वामी यात्रियों की सूची और वाहन के लॉग बुक का त्रैमासिक सारांश, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किये गये परमिट की शर्तों और नियमों में वांछित है, प्रस्तुत करने हेतु दायी होता है। मो0या0 अधिनियम की धारा 192 ए, परमिट की शर्तों के उल्लंघन के लिए शास्ति परिभाषित करती है जो ₹ 4,000 प्रशमन शुल्क के आरोपण को आकृष्ट करती है।

हमने चयनित सं0प0का0/स0सं0प0का0 की पत्रावलियों एवं ठेका वाहनों के डाटाबेस की जाँच किया और परिवहन आयुक्त एवं पाँच[14] सं0प0का0/स0सं0प0का0 में देखा कि 11,983 ठेका वाहनों में से 10,241 वाहन ठेका परमिट से आच्छादित थे और अक्टूबर 2012 से मार्च 2016 की अवधि में संचालित थे किन्तु किसी वाहन स्वामी ने उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार यात्रियों की सूची और लॉग बुक प्रस्तुत नहीं किया। परिणामस्वरूप विभाग द्वारा प्रशमन शुल्क धनराशि ₹ 4.10 करोड़ न तो आरोपित किया गया और न ही वसूल किया गया।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग नें बताया कि लॉग बुक और/अथवा यात्रियों की सूची प्रस्तुत न करना शास्ति आकृष्ट नहीं करता क्योंकि यह परमिट शर्तों का उल्लंघन नहीं है।

हम शासन के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि सभी वाहन परमिट के शर्तों का उल्लंघन करते हुए बिना यात्रियों की सूची एवं वाहन लॉग बुक का त्रैमासिक सारांश प्रस्तुत किये संचालित थे और नियमित रूप से कर का भुगतान कर रहे थे किन्तु विभाग ने इन वाहनों पर शास्ति आरोपित नहीं किया।

3.3.18.2 परमिट की शर्तों के उल्लंघन में मंजिली वाहनों पर प्रशमन शुल्क आरोपित नहीं किया गया।

परमिट की शर्तों के उल्लंघन में 1,648 मंजिली वाहनों पर प्रशमन शुल्क धनराशि ₹ 65.92 लाख आरोपित नहीं किया गया।

मो0या0 अधिनियम की धारा 72 मंजिली वाहनों के परमिट प्रदान करने हेतु विभिन्न शर्तें प्रावधानित करता है। उपरोक्त अधिनियम की उप धारा 2 (iii) विनिर्दिष्ट करता है कि ऐसे परमिटों को जारी करने के पश्चात सामान्यतः या विनिर्दिष्ट दिनों और अवसरों पर किसी मार्ग या क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रावधानित किये गये दैनिक ट्रिपों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या प्रस्तुत किया जाय। अग्रेतर, उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली के नियम 17 के अनुसार, प्रत्येक मंजिली वाहन का संचालक अधिनियम लागू होने के सात दिनों के अन्दर अथवा वाहनों के स्वामित्व में होने के, जैसा भी प्रकरण हो, कराधान अधिकारी को एक सारणी जिसमें मंजिली वाहनों के आगमन एवं प्रस्थान का समय एवं प्रत्येक त्रैमास में की जाने वाली एकल यात्राओं का विवरण और ऐसे दूसरे विवरण जो उसके व्यवसाय से सम्बन्धित है जिसे कराधान अधिकारी समय–समय पर आवश्यकतानुसार आदेशित करे प्रस्तुत करेगा। परमिट शर्त का उल्लंघन प्रति प्रकरण ₹ 4,000 प्रशमन शुल्क का आरोपण आकृष्ट करता है।

हमने चयनित सं0प0का0/स0सं0प0का0 के मंजिली वाहनों की मार्ग पत्रावलियों की जाँच किया और 13 सं0प0का0/स0सं0प0का0[15] कार्यालयों में देखा कि नमूना जाँच किये सभी 1,648 मंजिली वाहन मंजिली वाहन परमिट से आच्छादित थे और सितम्बर 2011 से मार्च 2016 की अवधि में संचालित थे लेकिन किसी भी वाहन स्वामी ने वाहनों के आगमन एवं प्रस्थान की समय सारणी जैसा कि नियमों के अन्तर्गत वांछित थी,

---

[14] सं0प0अ0 बरेली, गाजियाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ और वाराणसी।

[15] सं0प0अ0 आगरा, इलाहाबाद, गाजियाबाद, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, वाराणसी और स0सं0प0अ0 फिरोजाबाद, गौतमबुद्ध नगर, जालौन, मथुरा, मऊ और उन्नाव।

प्रस्तुत नहीं किया। इस प्रकार, इसके कारण विभाग न केवल प्रशमन शुल्क धनराशि ₹ 65.92 लाख से वंचित रहा बल्कि विभाग किसी दुर्घटना की दशा में फेरों और यात्रियों के विवरण की अनुपस्थिति में वास्तविक पीड़ितों, उनको देय क्षतिपूर्ति की गणना करने में भी सक्षम नही होगा और यह कानून और व्यवस्था के मुद्दों को भी प्रभावित करेगा।

समापन गोष्ठी के दौरान, विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि परमिट शर्तों के उल्लंघन के प्रकरण में यदि वाहन स्वामी अभियोगों के प्रशमन के लिए आवेदन करता हैं तो उसके प्रार्थना पर प्रशमन शुल्क आरोपित किया जाता हैं और उन प्रकरणों में जहाँ वाहन स्वामी उपस्थित नहीं होते हैं, प्रकरणों को न्यायालय सन्दर्भित कर दिया जाता है।

हम शासन के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि प्रवर्तन शाखा को परमिट शर्तों के उल्लंघन के लिये चिन्हीकरण और दण्ड आरोपण करने का कार्य सौंपा गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि सभी वाहन बिना समय–सारणी और फेरों की संख्या प्रस्तुत किये संचालित थे और नियमित रूप से कर भुगतान कर रहे थे किन्तु प्रवर्तन शाखा द्वारा परमिट शर्तों के उल्लंघन के लिये एक भी वाहन को चिन्हित और निरुद्ध नहीं किया गया।

3.3.19 कैरिज बाई रोड अधिनियम के अन्तर्गत शास्ति का अनारोपण

अधिक भार लदान के जिन 839 वाहनों को निरुद्ध किया गया था उन पर विभाग ने कैरिज बाई रोड़ अधिनियम के अन्तर्गत शास्ति की धनराशि ₹ 2.58 करोड़ आरोपित नहीं की।

कैरिज बाई रोड अधिनियम की धारा 5 (3) निर्दिष्ट करती है कि यदि पंजीयन अधिकारी या मो0या0 अधिनियम के अधीन इस प्रकार प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी को धारा–4[16] की उपधारा 8 के उपबन्धों के उल्लंघन का प्रमाण प्राप्त हुआ है तो वह सामान्य वाहक पर मो0या0 अधिनियम की धारा 194 के अधीन विहित शास्ति आरोपित करने के लिये इस तथ्य के होते हुये भी सक्षम होगा कि ऐसी शास्ति यथास्थिति, माल यान के चालक या स्वामी या प्रेषक पर पहले ही अधिरोपित की जा चुकी है और उससे वसूल की जा चुकी है।

सामान्य वाहक के पंजीयन न कराने के सम्बन्ध में कैरिज बाई रोड अधिनियम की धारा 18 (1) प्रावधानित करती है कि यदि कोई धारा 3, धारा 13 के प्रावधानों का या धारा 14 के अन्तर्गत निर्गत किसी अधिसूचना का उलंघन करता है तो वह प्रथम अपराध के लिए जुर्माने जो ₹ चार हजार की सीमा तक से और दूसरे या पश्चातवर्ती अपराध के लिए जुर्माने जो ₹ सात हजार पाँच सौ की सीमा तक से, दण्डनीय होगा।

हमने चयनित सं0प0का0/स0सं0प0का0 की अभियोग पुस्तिका, अपराध एवं जब्ती पंजिकाओं और पत्रावलियों की जाँच किया और देखा कि जुलाई 2014 से मार्च 2016 की अवधि के दौरान 8,161 में से विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के 839 मामले अधिक भार लदान में जब्त किये गये थे। विभाग ने मो0या0 अधिनियम की धारा 194 के अन्तर्गत ₹ 2.25 करोड़ शास्ति आरोपित किया और वाहनों को मुक्त कर दिया। सभी 839 प्रकरणों में विभाग ने कै0बा0रो0 अधिनियम की धारा 5 (3) के अन्तर्गत ₹ 2.25 करोड़ शास्ति आरोपित करने के लिये कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की। अग्रेतर, पंजीयन में

[16] कै0बा0रो0 अधिनियम की धारा–4(8) के प्रावधान के अनुसार, कोई सामान्य वाहक, मोटरयान में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में उल्लिखित उस सकल यान भार से अधिक भार नहीं लादेगा, जिसकी पंजीयन संख्या माल अग्रेषण टिप्पणी या माल रसीद में वर्णित है और सामान्य वाहक ऐसे वाहन में सकल यान भार से अधिक माल लादने की अनुमति नहीं देगा।

विफलता के लिये धारा 18 (1) के अन्तर्गत 839 प्रकरणों में ₹ 33.08 लाख की शास्ति भी आरोपित की जानी थी किन्तु विभाग ने केवल 12 प्रकरणों में धारा 18 (1) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की थी। यह दर्शाता है कि विभाग को प्रावधान की जानकारी थी किन्तु स0सं0प0अ0, प्रवर्तन शास्ति ₹ 2.58 करोड़ आरोपित करने में विफल रहे जिससे बचा जा सकता था यदि सं0प0अ0 (प्रवर्तन) द्वारा उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती क्योंकि वे अपने विवेक का उपयोग करने के लिये सक्षम नहीं थे (**परिशिष्ट–XV**)।

समापन गोष्ठी के दौरान, विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि सामान्य वाहकों पर शास्ति आरोपित की जायेगी, इन सामान्य वाहकों को चिन्हित कर वास्तविक देयों की गणना के लिये क्षेत्रीय कार्यालयों से सूचना मंगायी जा रही थी।

शासन लापरवाही और/या संलिप्तता के प्रकरणों में विपथगामी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने पर विचार कर सकता है।

3.3.20 जब्त वाहनों से कर एवं अतिरिक्त कर की वसूली नहीं किया गया

उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत, विभाग के प्रर्वतन शाखा द्वारा जब्त किए गये वाहन पर देय धनराशि तथा उन पर लगाये गये प्रशमन शुल्क के भुगतान हेतु वाहन स्वामी दायी होंगे तथा उसे अवमुक्त करायेंगे। जहाँ वाहन स्वामी देय राशि के भुगतान हेतु उपस्थित नहीं होते हैं, तो ऐसे वाहनों को जब्त किए जाने की तिथि के 45 दिनों के बाद नीलाम किया जा सकता है तथा वसूल की गयी धनराशि को कर, अतिरिक्त कर, अर्थदण्ड तथा ऐसे नीलामी में हुए व्यय के प्रति समायोजित कर दिया जाना चाहिये। अवशेष, यदि कोई हो, वाहन स्वामी को वापस कर दिया जायेगा।

3.3.20.1 जब्त वाहनों की नीलामी न किये जाने के कारण राजस्व की वसूली नहीं की गयी

विभाग 258 जब्त वाहनों की नीलामी न किये जाने कारण ₹ 1.05 करोड़ की वसूली नहीं कर सका।

हमने चयनित सं0प0का0/स0सं0प0का0 के जब्ती पंजिकाओं एवं सम्बन्धित पत्रावलियों की जाँच किया और 11[17] सं0प0का0/स0सं0प0का0 में देखा कि जुलाई 2008 से नवम्बर 2015 की अवधि के दौरान उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत 297 में से 258 वाहन जब्त किए गये थे जिनके विरुद्ध देय ₹ 1.05 करोड़ वसूल होना था। इन वाहनों के स्वामियों ने जब्ती की तिथि से 45 दिनों के अन्दर देय धनराशि का भुगतान नहीं किया। जब्ती की तिथि से पाँच माह से सात वर्ष आठ माह व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित कार्यालयों ने इन वाहनों की नीलामी द्वारा जब्त वाहनों से देय ₹ 1.05 करोड़ की वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की।

समापन गोष्ठी के दौरान, विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि अधिकारियों को समय–समय पर जब्त वाहनों की नीलामी हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

[17] सं0प0अ0 बरेली, गाजियाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ, वाराणसी और स0सं0प0अ0 गौतमबुद्ध नगर, हाथरस, जालौन, मथुरा, शाहजहांपुर और उन्नाव।

3.3.20.2 जब्त वाहनों की नीलामी से कम राजस्व वसूल होना

विभाग द्वारा 124 जब्त वाहनों की नीलामी से ₹ 30.16 लाख कम राजस्व वसूल किया गया।

हमने चयनित सं0प0का0/स0सं0प0का0 के जब्ती पंजिकाओं एवं सम्बन्धित पत्रावलियों की जाँच किया और पांच[18] सं0प0का0/स0सं0प0का0 कार्यालयों में पाया कि मई 2006 से सितम्बर 2014 के मध्य उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत देय धनराशि ₹ 43.04 लाख जमा न किए जाने के कारण प्रर्वतन शाखा द्वारा नमूना जाँच किये गये 284 में से 124 वाहन जब्त किए गये थे। बकायेदार 45 दिनों की निर्धारित अवधि के अन्दर देय धनराशि जमा करने में विफल रहे। विभाग ने फरवरी 2014 से मार्च 2016 के मध्य जब्त वाहनों की नीलामी की और देय धनराशि ₹ 43.04 लाख के विरुद्ध धनराशि ₹ 12.88 लाख की वसूली की। इस प्रकार जब्त वाहनों से धनराशि ₹ 30.16 लाख की वसूली नहीं हो सकी। सम्बन्धित कार्यालयों ने अवशेष धनराशि ₹ 30.16 लाख वसूलने हेतु वसूली प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया।

समापन गोष्ठी के दौरान, विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि वाहनों के प्रकरण जहाँ धनराशि कम वसूल की गयी है, वसूली की प्रक्रिया चल रही है।

3.3.20.3 जब्त वाहनों की नीलामी से अधिक प्राप्त धनराशि को वाहन स्वामियों को वापस नहीं किया गया

128 जब्त वाहनों की नीलामी से प्राप्त अधिक धनराशि ₹ 10.90 लाख को स्वामियों को वापस नहीं किया गया था।

हमने चयनित सं0प0का0/स0सं0प0का0 के जब्ती पंजिकाओं एवं सम्बन्धित पत्रावलियों की जाँच की और पांच[19] सं0प0का0/स0सं0प0का0 में पाया कि जनवरी 2009 से अगस्त 2014 तक उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत देय धनराशि ₹ 11.33 लाख जमा न किए जाने के कारण प्रर्वतन शाखा द्वारा नमूना जाँच किये गये 284 में से 128 वाहन जब्त किए गये थे। बकायेदार 45 दिनों की निर्धारित अवधि के अन्दर देय धनराशि जमा करने में विफल रहे। विभाग ने जनवरी 2014 से फरवरी 2015 के मध्य जब्त वाहनों को नीलाम किया और देय धनराशि ₹ 11.33 लाख के विरुद्ध धनराशि ₹ 22.23 लाख की वसूली की। इस प्रकार, जब्त वाहनों से वसूल अधिक धनराशि ₹ 10.90 लाख स्वामियों को वापस नहीं किया गया।

समापन गोष्ठी के दौरान, विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि नीलामी में प्राप्त अधिक धनराशि को वाहन स्वामियों को वापस किये जाने हेतु सम्बन्धित जनपदीय अधिकारियों को निर्देश जारी किये गये हैं।

3.3.21 निजी/कृषि कार्य हेतु पंजीकृत वाहनों का वाणिज्यिक उपयोग

वाणिज्यिक क्रियाकलापों में लगे हुए 93 ट्रैक्टरों से कर एवं अर्थदण्ड की धनराशि ₹ 16.04 लाख वसूल नहीं किया गया।

उ0प्र0मो0या0 के अधिनियम की धारा 4(2) के अन्तर्गत कृषि कार्य से भिन्न वाणिज्यिक उद्देश्य में प्रयुक्त ट्रैक्टरों पर प्रत्येक मीट्रिक टन वाहन के लदान रहित भार या उसके

[18] सं0प0अ0 आगरा, इलाहाबाद, गाजियाबाद और स0सं0प0अ0 गौतमबुद्ध नगर और हरदोई।
[19] स0सं0प0अ0 आगरा, गाजियाबाद, झाँसी एवं स0सं0प0अ0 हाथरस तथा उन्नाव।

भाग पर 18 अक्टूबर 2012 तक ₹ 500 प्रति त्रैमास या ₹ 1,800 वार्षिक की दर से तथा 19 अक्टूबर 2012 से ₹ 525 प्रति त्रैमास या ₹ 1,890 वार्षिक की दर से कर देय है। अग्रेतर, मो0या0 अधिनियम की धारा 66(1) सपठित धारा 192 के अन्तर्गत किसी मोटर वाहन के प्रयोग के प्रथम अभियोग के लिए ₹ 2,500 जिसे बढ़ाकर 25 अगस्त 2010 से ₹ 4,000 कर दिया गया था, से दण्डनीय होगा।

हमने चयनित सं0प0का0/स0सं0प0का0 के जब्ती पंजिकाओं एवं सम्बन्धित पत्रावलियों की जाँच की और पाया कि छः[20] सं0प0का0/स0सं0प0का0 में 93 कृषि कार्य हेतु पंजीकृत ट्रैक्टर उपखनिज (बालू और साधारण मिट्टी) के परिवहन के वाणिज्यिक क्रिया कलापों में लगे थे। इस तथ्य की पुष्टि सम्बन्धित जिला खनन अधिकारियों के सुसंगत अभिलेखों से किया गया था। हमने अभियोजन पंजिका की जाँच में पाया कि विभाग ने वाणिज्यिक प्रयोग में लगे इन वाहनों से अन्तरीय कर की दर के आरोपण एवं वसूली की कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए अर्थदण्ड का आरापेण भी नहीं किया। परिणामस्वरूप कर एवं अर्थदण्ड की धनराशि ₹ 16.04 लाख वसूल नहीं किया गया।

समापन गोष्ठी के दौरान, विभाग नें हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि छः स0सं0प0का0 में से एक में नोटिस जारी किया गया है।

3.3.22 वाहन जनित प्रदूषण

3.3.22.1 प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की सूचना की कमी

परिवहन कार्यालयों के पास प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र के साथ या बिना प्रमाणपत्र के संचालित वाहनों के आँकड़े/सूचना नहीं थी।

के0मो0या0 नियमावली के नियम 115(7) के प्रावधानों के अन्तर्गत तिथि जिस पर मोटरयान प्रथमतः पंजीकृत किया गया था से एक वर्ष की एक अवधि की समाप्ति के पश्चात, प्रत्येक ऐसा यान राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत एक अधिकरण द्वारा जारी एक वैध 'प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र' (प्र0नि0प्र0) धारित करेगा। प्रमाणपत्र की वैधता छः माह की होगी। नियम 115(2) के अन्तर्गत यदि वाहन के प्रदूषण का मानक निर्धारित सीमा के अन्दर पाया जाता हैं तो प्रदूषण जाँच केन्द्र निर्धारित शुल्क के भुगतान पर प्र0नि0प्र0 जारी करेगा।

हमने चयनित सं0प0का0/स0सं0प0का0 एवं परिवहन आयुक्त कार्यालयों के प्रदूषण से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच की और पाया कि विभाग ने राज्य के 70 सं0प0का0/स0सं0प0का0 में 787 निजी प्रदूषण जाँच केन्द्रों को अधिकृत किया था और शेष पाँच स0सं0प0का0 में कोई केन्द्र

[20] स0सं0प0अ0 बलिया, फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा, शाहजहांपुर और उन्नाव।

नहीं था। चयनित सं0प0का0/स0सं0प0का0 में 507 प्रदूषण जाँच केन्द्र थे। परिवहन आयुक्त और सं0प0अ0/स0सं0प0अ0 कार्यालयों के वाहन सॉफ्टवेयर में प्र0नि0प्र0 के साथ या बिना प्र0नि0प्र0 के संचालित वाहनों से सम्बन्धित कोई आँकड़ा/सूचना नहीं थी जिसे विभाग ने अपने उत्तर में पुष्टि करते हुये बताया कि क्षेत्रीय कार्यालयों से सूचनांए एकत्रित की जा रही हैं।

3.3.22.2 वाहन के प्रदूषण की जाँच हेतु आधारभूत संरचना की कमी

हमने चयनित सं0प0का0/स0सं0प0का0 कार्यालयों एवं प0आ0 कार्यालय के अभिलेखों की जाँच की और पाया कि आठ सं0प0का0/स0सं0प0का0 में धुँआ उत्सर्जन की जाँच करने वाले आवश्यक यंत्र खराब अवस्था में थे। शेष 11 में से 10 सं0प0का0/स0सं0प0का0 और 19 प्रवर्तन शाखा में इस प्रकार का कोई यंत्र नहीं था। प्रदूषण के जाँच हेतु आधारभूत संरचना की कमी होने के कारण निर्धारित मानकों के अनुसार वाहनों के प्रदूषण की जाँच नहीं की जा सकी।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि जनपदों से विस्तृत सूचना मंगायी जा रही है।

शासन प्रदूषण मानक के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त यातायात कर्मचारियों की आवश्यक उपकरणों के साथ तैनाती पर विचार कर सकता है।

आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली

विभाग को अधिनियम/नियमों का उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित किये जाने हेतु एक प्रभावशाली आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली विकसित करना चाहिए। यह त्वरित एवं प्रभावी निर्णय लेने तथा राजस्व के कम संग्रहण एवं अपवंचन के विरुद्ध समुचित सुरक्षा के लिए वित्तीय एवं प्रबन्धन सूचना की विश्वसनीय प्रणाली को सृजित करने में भी सहायता करता है। इसकी प्रभावशीलता बनाये रखने के लिए समय–समय पर इसकी समीक्षा और अद्यतन भी करना चाहिए। विभाग के आन्तरिक नियंत्रण की प्रभाविता पर हमारे निष्कर्षों सन्निहित ₹ 167.27 करोड़ का उल्लेख निम्न प्रस्तरों में किया गया है।

3.3.23 राजस्व के बकाये का विश्लेषण

31 मार्च 2016 को राजस्व का बकाया ₹ 118.11 करोड़ था। वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि के दौरान के राजस्व बकाये की स्थिति **सारणी 3.4** में प्रदर्शित है:

सारणी 3.4

राजस्व के बकाये का विश्लेषण

				(₹ करोड़ में)
वर्ष	**बकाये का प्रारम्भिक अवशेष**	**वर्ष के दौरान वृद्धि**	**वर्ष के दौरान संग्रहीत धनराशि**	**बकाये का अन्तिम अवशेष**
2011–12	29.67	786.76	786.74	29.69
2012–13	47.44	949.83	943.43	53.84
2013–14	87.94	1,125.91	1,088.21	125.64
2014–15	124.94	1,187.74	1,175.87	136.81
2015–16	146.70	1,180.81	1,209.40	118.11

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

हमने पाया कि वर्ष 2011–12 के प्रारम्भ में निजी संचालकों के विरुद्ध ₹ 29.67 करोड़ बकाया था जो वर्ष 2015–16 में बढ़कर ₹ 118.11 करोड़ (298 प्रतिशत) हो गया। पाँच वर्ष से अधिक के बकाये का विवरण विभाग के पास उपलब्ध नहीं था। यह दर्शाता है कि विभाग द्वारा बकाया कम करने के लिए समुचित प्रयास नहीं किया गया। किसी वर्ष का प्रारम्भिक अवशेष उसके पिछले वर्ष के अन्तिम अवशेष के आँकड़ों से मिलना चाहिये उपर्युक्त सारणी दर्शाती है कि ऐसा नहीं था। प्रत्येक वर्ष का प्रारम्भिक अवशेष पूर्ववर्ती वर्ष के अन्तिम अवशेष से भिन्न है। इस प्रकार इससे निष्कर्ष निकला जा सकता था कि विभाग द्वारा बकाया के सम्बन्ध में बनायी गयी सूचना गलत थी और विभाग बकाये की वास्तविक धनराशि जिसकी वसूली किया जाना आवश्यक था, से अनभिज्ञ था।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि वर्ष दर वर्ष में भिन्नता का कारण पुराने वाहनों के अभिलेखों का डिजिटलीकरण के कारण है। पाँच वर्षों से अधिक के बकाये के विवरण विभाग के पास अब भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए वे उन चरणों को, जिनके अधीन वसूली लम्बित है, प्रदान नहीं कर सका।

3.3.24 बकायों की वसूली

उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम,1997 की धारा 20 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी कर या अतिरिक्त कर या शास्ति का बकाया, भू–राजस्व के बकाये की भाँति वसूलनीय होगा। कराधान अधिकारी प्रत्येक वर्ष कर, अतिरिक्त कर और शास्ति के बकाये के लिए जिसमें पूर्ववर्ती वर्षों के कर, अतिरिक्त कर या शास्ति भी शामिल रहेंगे, वाहन स्वामियों या संचालकों को जैसा कि प्रकरण हो प्रारूप जैसा कि निर्धारित हो में मांग पत्र जारी करेगा और नोटिस के 30 दिन की समाप्ति के पश्चात 45 दिन के अन्दर राजस्व वसूली प्रमाणपत्रों को जारी करेगा।

धारा 22 कराधान अधिकारी को अधिकृत करता है कि यदि देयों का भुगतान वाहन के जब्त या रोके जाने की तिथि से 45 दिन के अन्दर नहीं होता तो वाहन को जब्त करे एवं रोके और देयों की वसूली वाहनों की नीलामी द्वारा करे।

3.3.24.1 बकायों की वसूली हेतु निगरानी एवं अनुश्रवण तंत्र का अभाव

अनुश्रवण और निगरानी तंत्र के अभाव में 336 प्रकरणों में धनराशि ₹ 2.21 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

हमने चयनित सं0प0का0/स0सं0प0का0 के वसूली प्रमाणपत्र पंजिकाओं एवं वाहनों की पत्रावलियों की जाँच की और 13[21] सं0प0का0/स0सं0प0का0 में देखा कि 336 मामलों जिनके लिए नवम्बर 2012 से जुलाई 2015 की अवधि के दौरान वसूली प्रमाण पत्र (व0प्र0प0) निर्गत किये गये थे, में ₹ 2.21 करोड़ का कर/अतिरिक्त कर बकाया था। हमने देखा कि ये व0प्र0प0 राजस्व की देय तिथि के बाद एक माह से 14 वर्ष छः माह के विलम्ब से निर्गत किये गये थे और इन अवशेष देयों की वसूली नहीं हो सकी थी। पत्रावलियों में इन अनिस्तारित व0प्र0प0 के विरुद्ध वसूली हेतु राजस्व अधिकारियों के नियमित अनुश्रवण का कोई प्रमाण नहीं देखा गया। जिले के कराधान अधिकारियों ने धारा–22 के अन्तर्गत उन स्वामियों जो अपने देयों के प्रति विफल थे, के वाहनों की जब्ती आदि की कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की थी। हमने पाया कि नियमों में व0प्र0प0 निर्गत करने हेतु कोई समय बद्धता का प्रावधान नहीं था और विभाग के पास भी वसूली प्रमाण पत्रों को विनिर्दिष्ट समय सीमा के अन्दर निर्गमन के अनुश्रवण की कोई

[21] सं0प0अ0 आगरा, इलाहाबाद, बरेली, गाजियाबाद, लखनऊ और स0सं0प0अ0 बलिया, फिरोजाबाद, गौतमबुद्ध नगर, हाथरस, मथुरा, मऊ, शाहजहांपुर, और उन्नाव।

प्रणाली नहीं थी। अनुश्रवण और निगरानी तंत्र के अभाव में राजस्व धनराशि ₹ 2.21 करोड़ की वसूली नहीं हुई (**परिशिष्ट–XVI**)।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि ऐसे बकायों की वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं।

3.3.24.2 राजस्व की वसूली किए बिना वसूली प्रमाण पत्र का वापस आना

धनराशि ₹ 1.86 करोड़ के 179 प्रकरणों में वसूली प्रमाण पत्र राजस्व की वसूली के बिना वापस कर दिये गये।

हमने चयनित सं0प0का0/स0सं0प0का0 के कर पंजिका, बकाया पंजिका वसूली प्रमाणपत्र निर्गम पंजिका एवं वाहन पत्रावलियों की जाँच किया और 12 सं0प0का0/स0सं0प0का0[22] में पाया कि 727 में से 179 मामलों में धनराशि ₹ 1.86 करोड की कर/अतिरिक्त कर बकाया था जिसके लिए अक्टूबर 2007 से दिसम्बर 2015 की अवधि के दौरान वसूली प्रमाण पत्रों (व0प्र0प0) को अवशेष देयों के बकाये की वसूली हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी को निर्गत किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि व0प्र0प0 जारी करने के एक वर्ष से नौ वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी देयों की वसूली नहीं हो सकी और जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा व0प्र0प0 बिना वसूली हुए गलत पता/मृत्यु/कोई सम्पत्ति नहीं/बकायेदार के पिता का नाम अंकित नहीं, की टिप्पणी के साथ विभाग को वापस कर दिया गया जबकि सम्पूर्ण विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी सं0प0का0/स0सं0प0का0 की थी। पुनश्च, नियमानुसार विभाग द्वारा इसके वापसी के कारणों की जाँच करना चाहिए था और पुनः जारी करने हेतु सक्रिय प्रयास करना चाहिए था। लेखापरीक्षा ने देखा कि व0प्र0प0 वापसी के किसी भी प्रकरण में सम्बन्धित सं0प0का0/स0सं0प0का0 ने कारणों की जाँच नहीं किया और सम्बन्धित जिला प्राधिकारी से आगे कोई पत्राचार नहीं किया।

विभाग अवशेष देयों की वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्रों को पुनः जारी करने में विफल रहा और बकायेदारों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इस प्रकार अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत प्रभावी अनुश्रवण न करने के कारण धनराशि ₹ 1.86 करोड़ के देयों की वसूली नहीं हो सकी (**परिशिष्ट–XVII**)।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि इस प्रकार के बकाये की वसूली हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

3.3.25 कार्यालय आदेश का विलम्बित अनुपालन

कार्यालय आदेश के विलम्बित अनुपालन के कारण धनराशि ₹ 49.75 लाख राजस्व कम आरोपित हुआ था।

के0मो0या0 नियमावली के नियम 115(7) के अन्तर्गत परिवहन आयुक्त ने अपने पत्र दिनांक 23 सितम्बर 1993 द्वारा विभिन्न डीजल/पेट्रोल चालित वाहनों के प्र0नि0प्र0 शुल्क हेतु ₹ 20 निर्धारित किया। जिसका ₹ 2 (10 प्रतिशत) निजी प्रदूषण जाँच केन्द्रों द्वारा राजकीय कोषागार में जमा किया जाना था। पुनश्च प्र0नि0प्र0 के प्रारूप के साथ ही साथ ये दरें भी आदेश सं0–109 प्रवि0/2013–01/सा0सु0/2012 दिनांक 21 जनवरी 2013 द्वारा संशोधित कर दी गयीं। नई दरें दो/तीन पहिया पेट्रोल/सी0एन0जी0/एल0पी0जी0 वाहनों हेतु ₹ 30, चार पहिया पेट्रोल वाहनों हेतु ₹ 40 तथा

[22] मुख्य चूककर्ता सं0प0अ0/स0सं0प0अ0: फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और उन्नाव।

डीजल वाहनों हेतु ₹ 50 थी। इसी प्रकार आदेश दिनांक 4 दिसम्बर, 2013 द्वारा शुल्क के 10 प्रतिशत के बराबर धनराशि राजकीय कोषागार में जमा किया जाना था।

हमने परिवहन आयुक्त कार्यालय के प्रदूषण प्रमाणपत्रों से सम्बन्धित अभिलेखों यथा भुगतान रजिस्टर, प्राप्ति एवं निर्गम रजिस्टर की जाँच किया और पाया कि विभाग ने पेट्रोल चलित वाहनों से 31 दिसम्बर 2013 तक एवं डीजल वाहनों से 24 जनवरी 2014 तक निरन्तर पूर्व संशोधित दरों से ही शुल्क प्राप्त किया और पुराने प्रारूप में प्रमाणपत्र जारी किया। पेट्रोल वाहनों के लिए कुल 20,96,000 प्रमाणपत्र एवं डीजल वाहनों के लिए 9,59,500 प्रमाणपत्र (कुल 30,55,500 प्रमाणपत्र) विभिन्न निजी प्रदूषण जाँच केन्द्रों को निर्गत किये गये तथा इन प्रमाणपत्रों पर ₹ 61,11,000 की धनराशि (₹ 2 प्रति प्रमाणपत्र की दर से) राजकीय कोषागार में जमा की गयी जबकि ₹ 1,10,85,500 (न्यूनतम ₹ 3 प्रति पेट्रोल वाहन की दर से एवं ₹ 5 प्रति डीजल वाहन की दर से) कार्यालय आदेश दिनांक 21 जनवरी 2013 के अनुसार जमा किया जाना चाहिये था। परिणामस्वरूप ₹ 49.75 लाख कम आरोपित हुआ।

समापन गोष्ठी में विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बतया कि प्रकरण की विवेचना की जा रही है तथा वसूली यदि देय हुई, सुनिश्चित की जाएगी। विभाग द्वारा आदेश के विलम्बित अनुपालन के लिए कोई विशेष कारण नहीं बताया गया।

3.3.26 बन्धक अनुबन्धों के साथ पंजीकृत वाहनों पर स्टाम्प शुल्क आरोपित नहीं किया जाना।

विभाग ने स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग से वास्तविक स्टाम्प शुल्क के निर्धारण हेतु बन्ध–पत्रों का निरीक्षण नहीं कराया। इस प्रकार शासन राजस्व ₹ 162.70 करोड से वंचित रहा।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 73 तथा अनुसूची 1–ख (6) के अनुसार चल सम्पत्ति का बन्धक, आड़ या गिरवी से सम्बन्धित इकरार प्रमाणित होता हो जब ऐसा निक्षेप, आड़ या गिरवी, ऋण के रूप में दिये या दिये जाने वाले धन या किसी वर्तमान या भविष्य देनदारी की अदायगी की जमानत के रूप में किया गया हो; गिरवी की धनराशि के 0.5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 10,000 स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होगा, यदि ऐसा उधार या ऋण मांग पर या ऐसे समय पर जो करार को साक्ष्य करने वाली लिखत की तारीख से तीन माह से अधिक है, प्रति संदेय हैं, ऐसे प्रत्येक सार्वजनिक अधिकारी को जिसका कर्तव्य यह देखना है कि उचित शुल्क अदा किया जा रहा है, या अन्य किसी अधिकारी को जा कलेक्टर द्वारा लिखित रूप में उस प्रयोजन के लिए अधिकृत किया गया हो। पुनश्च, मुख्य सचिव ने अपने पत्र दिनांक 9 जून 2010 जो सभी विभागों के प्रमुख सचिवों, आयुक्तों तथा जिला मजिस्ट्रेटों को सम्बोधित है, बल देते हुए अपेक्षा किया है कि प्रत्येक सार्वजनिक अधिकारी अपंजीकृत विलेखों की छाया प्रति विस्तृत विवरणों सहित निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक माह की 10 तारीख से पूर्व स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता हेतु सहायक आयुक्त, स्टाम्प को प्रस्तुत करेंगे।

हमने सभी चयनित सं0प0का0/स0सं0प0का0 के आँकडे एवं वाहन पत्रावलियों की जाँच किया और देखा कि 12,41,085 वाहन निहित मूल्य ₹ 43,564.38 करोड़ अप्रैल 2011 से मार्च 2016 की अवधि के मध्य बैंकों में बंधक किये गये थे जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित नहीं किया गया था। वाहनों के बन्धपत्रों का न तो विभाग ने निरीक्षण कराया और न ही उनको वास्तविक स्टाम्प शुल्क के निर्धारण हेतु स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग को प्रस्तुत किया गया। क्योंकि वाहन पंजीयन पत्रावलियों/ आँकड़ों में बन्धक ऋण की राशि उपलब्ध नहीं थी, लेखा परीक्षा ने बैंकों द्वारा सामान्यतया वाहनों के मूल्य के कम से कम 80 प्रतिशत तक ऋण अनुमन्य किया जाता है, को आधार मानकर कुल

ऋण की राशि ₹ 34,851.51 करोड माना। परिणामस्वरूप शासन ₹ 162.70 करोड की राजस्व प्राप्ति से वंचित रहा **(परिशिष्ट–XVIII)**।

समापन गोष्ठी में विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि भविष्य में क्षेत्रीय अधिकारियों को बन्धक दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क के आरोपण की जाँच के लिये निर्देशित किया जायेगा। स्टाम्प एवं राजिस्ट्रेशन विभाग ने भी अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को बन्धक वाहनों पर स्टाम्प शुल्क के आरोपण के लिए निर्देश जारी किया है।

3.3.27 विभागीय मैनुअल का अस्तित्व में न होना

किसी भी विभाग के दक्ष तथा प्रभावी कार्यकलापों के लिए एक मैनुअल जिसमें कर्मचारियों के कर्तव्यों एवं दायित्वों, अनुपालन की जाने वाली प्रक्रियाओं तथा विभिन्न प्रकार के तैयार किये जाने वाले पंजिकाओं/विवरणियों का विवरण विहित हो, आवश्यक है।

हमने देखा कि विभाग में विभागीय मैनुअल अस्तित्व में नहीं है। विभाग द्वारा अगस्त 2008 में विभागीय मैनुअल बनाने के लिए एक समिति गठित की गई परन्तु समिति गठित होने के सात वर्ष बीत जाने के बाद भी मार्च 2016 तक एक भी बैठक नहीं आयोजित हुई। कर्तव्यों, दायित्वों, किया–विधियों तथा आन्तरिक नियंत्रण की स्थापित प्रणाली के अभाव के फलस्वरूप विभाग, कार्यकारी क्षेत्रों में कमजोरी एवं इसे रोकने के लिए समय पर सुधारात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करने की योग्यता के प्रति सचेत नहीं हुआ।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि विभागीय मैनुअल की तैयारी हेतु समिति की बैठक आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

तथापि वास्तविकता यह है कि सात वर्षों के व्यतीत हो जाने के पश्चात भी विभाग ने विभागीय मैनुअल को तैयार किये जाने हेतु कोई सार्थक प्रयास नहीं किया।

शासन यथाशीघ्र विभागीय मैनुअल तैयार करने तथा अपनाने पर विचार कर सकता है।

3.3.28 आन्तरिक लेखापरीक्षा

संगठन की आन्तरिक लेखापरीक्षा किसी संगठन के आन्तरिक नियंत्रण हेतु एक महत्वपूर्ण घटक है और इसे सामान्यतः सभी नियंत्रणों के नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह संगठन को स्वयं को विश्वस्त कराने कि निर्धारित प्रणालियाँ भली–भाँति कार्य कर रही हैं हेतु सक्षम बनाता है।

आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा (आ0ले0प0शा0) वित्त नियंत्रक द्वारा नियंत्रित की जाती है। आ0ले0प0शा0 में एक सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं छः लेखापरीक्षकों के स्वीकृत पद के सापेक्ष एक सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं तीन लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की गयी है।

आन्तरिक लेखापरीक्षा आयोजना जैसे कि लेखापरीक्षा हेतु आयोजित इकाइयों की संख्या, लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या एवं कमी का विवरण **सारणी 3.5** में दर्शाया गया है।

सारणी 3.5
आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा लेखापरीक्षा आयोजना

वर्ष	आ0ले0प0 हेतु उपलब्ध कुल इकाइयों की संख्या	आ0ले0प0 हेतु आयोजित इकाइयों की संख्या	वर्ष के दौरान लेखा परीक्षित इकाइयों की संख्या	कमी	कमी की प्रतिशतता
2011–12	101	36	22	14	38.88
2012–13	101	40	19	21	52.50
2013–14	101	31	22	09	29.03
2014–15	101	31	27	04	12.90
2015–16	103	36	30	06	16.77

स्रोतः विभाग से प्राप्त सूचना

यह प्रदर्शित करता है कि आ0ले0प0शा0 की लेखापरीक्षा आयोजना यथार्थपरक नहीं है जैसा कि वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या में कमी 12.90 प्रतिशत से 52.50 प्रतिशत के मध्य रही।

आ0ले0प0शा0 द्वारा सम्पादित की गयी आन्तरिक लेखापरीक्षा वर्ष के दौरान उठाई गयी और निस्तारित की गयी आपत्तियों की संख्या एवं धनराशि **सारणी 3.6** में दर्शायी गयी है।

सारणी 3.6
अनिस्तारित प्रस्तरों और धनराशि का विवरण

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष		वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के दौरान निस्तारण		अन्तिम शेष	
	प्रकरणों की सं0	सन्निहित धनराशि	प्रकरणों की सं0	सन्निहित धनराशि	प्रकरणों की सं0	सन्निहित धनराशि	प्रकरणों की सं0	सन्निहित धनराशि
2011–12	4,582	2,283.00	204	81.00	0	0.00	4,786	2,364.00
2012–13	4,786	2,364.00	137	73.00	12	13.00	4,911	2,424.00
2013–14	4,911	2,424.00	198	54.00	19	21.00	5,090	2,457.00
2014–15	5,090	2,457.00	276	115.00	8	2.00	5,358	2,570.00
2014–15	5,358	2,570.00	157	58.00	10	26.00	5,505	2,602.00

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि एक तरफ आ0ले0प0शा0 द्वारा उठाये गये प्रकरणों के विरुद्ध विभाग द्वारा किया गया अनुपालन अत्यन्त कम है, जबकि दूसरी तरफ प्रस्तरों की लंबितता और धनराशि वर्षवार बढ़ती जा रही है।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि विभाग भी एक मजबूत आ0ले0प0शा0 की आवश्यकता महसूस करता है।

3.3.29 विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण

क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण निर्धारित मानदण्डों के अनुसार नहीं किया गया ।

विभाग की उपयुक्त एवं प्रभावी कार्य कलापों को सुनिश्चित करने तथा समयान्तर्गत कमियों को चिन्हित किये जाने और उनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निरीक्षण आन्तरिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण भाग है।

परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश ने निर्देश दिनांक 2 मई 2014 द्वारा उप परिवहन आयुक्त, सं0प0अ0(प्रशा0), सं0प0अ0(प्रव0), स0सं0प0अ0(प्रशा0) तथा स0सं0प0अ0(प्रव0) द्वारा अपने एवं अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण सम्पादित किये जाने हेतु आवधिकता

निर्धारित किया है। अपने एवं अधीनस्थ कार्यालयों के निरीक्षण की आवधिकता एक माह से छः माह के मध्य थी। किये गये निरीक्षण का विवरण **सारणी 3.7** में दर्शाया गया है।

सारणी 3.7

उच्चाधिकारियों द्वारा कार्यालयों के किये गये निरीक्षणों का विवरण

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	निरीक्षण की संख्या			
		अपेक्षित	किये गये	कमी	कमी की प्रतिशतता
1.	उप परिवहन आयुक्त	76	30	46	60.53
2.	सम्भागीय परिवहन अधिकारी(प्रशा0)	228	52	176	77.19
3.	सम्भागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन)	228	23	205	89.91
4.	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशा0)	228	67	161	70.61
5.	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)	228	43	185	81.14
	योग	**988**	**215**	**773**	**78.24**

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

चार्ट 3.4

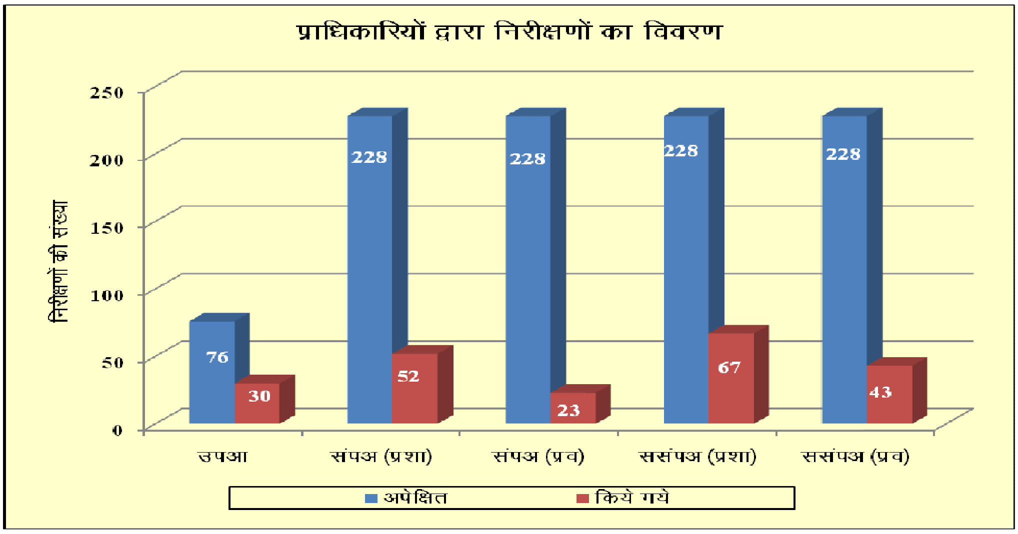

उपर्युक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि इन वर्षों के दौरान विभिन्न स्तरों पर निरीक्षण में कमी 60.53 से 89.91 प्रतिशत के मध्य थी। अधिकतम कमी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रव0) के स्तर पर पायी गयी। हमने पाया कि परिवहन आयुक्त एवं अपर परिवहन आयुक्त द्वारा निरीक्षण का मानदण्ड किसी स्तर पर निर्धारित नहीं किया गया था। यह कर, अतिरिक्त कर एवं शुल्क के कम आरोपण के प्रकरणों की निगरानी में प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता था।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने कहा कि परिवहन आयुक्त द्वारा मासिक बैठकें की जा रही हैं और अपर परिवहन आयुक्त द्वारा जनवरी 2016 में एक बार निरीक्षण सम्पादित किया गया है। पुनश्च, उन्होंने उ0प0आ0, सं0प0अ0(प्रशा0)/सं0प0अ0(प्रव0), तथा स0सं0प0अ0(प्रशा0)/स0सं0प0अ0(प्रव0) द्वारा निरीक्षण में कमी के सम्बन्ध में हमारे प्रेक्षण पर कोई उत्तर नहीं दिया।

3.3.30 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2009–10 की संस्तुतियों का अनुश्रवण

लोक लेखा समिति ने 11 प्रस्तरों पर न तो चर्चा किया और न ही विभाग द्वारा कोई कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

वर्ष 2009–10 के लिए लेखा परीक्षा प्रतिवेदन से सम्बन्धित 28 उप प्रस्तरों में से 17 प्रस्तरों पर राज्य लोक लेखा समिति में चर्चा हुई।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने बताया कि लम्बित प्रस्तरों के उत्तर एकत्र एवं प्रस्तुत किये जायेंगे।

3.3.31 मानव संसाधन का प्रबन्धन

स्वीकृत संख्या के सापेक्ष अनुषंगिक कर्मचारी वर्ग की अत्याधिक कमी से कार्य की अधिकता हुयी एवं राजस्व के संग्रहण/वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

अधिनियमों एवं नियमों के दक्ष कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण तथा विभाग/संगठन के आन्तरिक नियंत्रण के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मानव संसाधन का प्रबन्धन बहुत आवश्यक होता हैं।

परिवहन आयुक्त तथा सं0प0अ0/स0सं0प0अ0 कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराये गये चयनित जनपदों के स्वीकृत पदों की संख्या एवं कार्यरत कर्मचारियों की संख्या **सारणी 3.8** में दर्शाया गया हैं।

सारणी 3.8

मानव संसाधन का प्रबन्धन

क्रम सं0	इकाई का नाम	प्रशासनिक शाखा			प्रर्वतन दल		
		स0सं0प0अ0 (प्रशा0)	क्षे0 नि0	अन्य	प्रर्वतन दल/ स0सं0प0अ0 (प्र0)	पर्यवेक्षक	सिपाही
1.	स्वीकृत पदों की संख्या	19	43	767	37	47	285
2.	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या	19	18	578	36	13	175
3.	कमी	0	25	189	1	34	110
4.	कमी की प्रतिशतता	0	58.13	24.64	2.70	72.34	38.59

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

उपर्युक्त सारणी दर्शाती है कि सं0प0अ0/स0सं0प0अ0 कार्यालयों में अनुषंगिक कर्मचारियों की अत्याधिक कमी थी। पुनश्च, हमने देखा किः

- सड़क परिवहन से सम्बन्धित सभी तकनीकी प्रकरणों में क्षेत्रीय निरीक्षक (क्षे0नि0) सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों की सहायता करते है। वे वाहनों की स्वस्थता के जाँच तथा वाहनों के स्वस्थता प्रमाण पत्र को प्रदान/नवीनीकरण करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। स्वीकृत 43 पदों के विरुद्ध 18 क्षे0नि0 थे। इस संवर्ग में कमी से अधिक कार्यभार बढ़ गया जो उनकी कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव ड़ाल सकता था।
- 37 प्रवर्तन दल की स्वीकृत संख्या के सापेक्ष 36 कार्यरत थे इसी प्रकार पर्यवेक्षकों के 47 एवं सिपाहियों के 285 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 13 पर्यवेक्षक एवं 175 सिपाही तैनात थे। जनशक्ति की इस कमी से करों तथा प्रशमन शुल्क के संग्रहण/वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता था जैसा कि **सारणी 3.9** में दर्शाया गया हैं।

सारणी 3.9

निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध वसूली के विवरण का विस्तार

वर्ष	सं0प0अ0/स0सं0प0अ0 की संख्या	निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध वसूली प्रतिशत का विस्तार
2011–12	13	13.35 से 97.07
2012–13	15	39.11 से 96.97
2013–14	16	29.24 से 98.37
2014–15	18	13.87 से 98.82
2015–16	18	19.26 से 94.31

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है।

शासन आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा को सुदृढ़ करने एवं विभागीय प्राधिकारियों द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों के निरीक्षण हेतु निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति पर विचार कर सकता है। इन रिक्त पदों पर कर्मचारियों की तैनाती कर मानव संसाधन प्रबन्धन को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

3.3.32 निष्कर्ष

हमने देखा किः

कर एवं अर्थदण्ड के भुगतान के बिना मार्ग पर चल रहे वाहनों को, स्वस्थता के नवीनीकरण, बिना परमिट, बिना परमिट के नवीनीकरण, क्षमता से अधिक भार ढोने वाले वाहनों, बिना प्र0नि0प्र0 के वाहनों के संचालन को विभाग/प्रवर्तन शाखा नहीं पकड़ सका। शासन ₹ 596.77 करोड़ के राजस्व से वंचित रहा। विभाग प्र0नि0प्र0 के साथ अथवा प्र0नि0प्र0 के बिना संचालित वाहनों की सूचना उपलब्ध कराने तथा प्रवर्तन शाखा को वाहनों के प्रदूषण की जाँच हेतु आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित करने में विफल रहा। विभाग की आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली अक्षम थी तथा आंतरिक नियंत्रण उपकरण जैसे आन्तरिक लेखापरीक्षा तथा निरीक्षण प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर रहे थे। अनुषंगिक कर्मचारियों/प्रवर्तन दलों में कर्मचारियों की कमी थी एवं राजस्व के संग्रहण एवं आन्तरिक नियंत्रण हेतु विभागीय मैनुअल का अभाव था।

3.3.33 संस्तुतियों का सारांश

हम संस्तुति करते हैं कि शासन विचार कर सकता हैः

- **पंजीकृत गैर परिवहन यान (व्यक्तिगत वाहनों) जिनके पंजीयन की वैधता समाप्त हो गयी हैं की पहचान हेतु समय–समय पर समीक्षा हेतु,**
- **जन सुरक्षा के हित में और राजस्व की हानि से बचने के लिये सभी वाहनों के स्वस्थता की जाँच जो प्रतीक्षित हैं, त्वरित कदम उठाये जाने हेतु,**
- **अधिनियम/नियमावली के कठोर अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु एवं उ0प्र0रा0स0प0नि0 के अन्तर्गत संचालित वाहनों/बकायेदार वाहनों से राजस्व की वसूली की निगरानी के लिये डी0सी0बी0 पंजिका की समय–समय पर समीक्षा हेतु एक तंत्र की स्थापना हेतु,**

- लापरवाही और संलिप्तता के प्रकरणों में विपथगामी अधिकारियों के विरुद्ध विभाग को अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करना चाहिए।
- प्रदूषण मानक के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक उपकरणों के साथ पर्याप्त यातायात कार्मिकों की तैनाती हेतु,
- विभागीय मैनुअल यथाशीघ्र तैयार करने एवं अंगीकृत करने हेतु,
- अपनी आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा को सुदृढ़ करने और विभागीय प्राधिकारियों द्वारा क्षेत्र कार्यालयों के निरीक्षण के लिये निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु। इन रिक्त स्थानों पर कर्मचारियों की तैनाती द्वारा मानव संसाधन प्रबन्धन को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

3.4 लेखापरीक्षा प्रेक्षण

परिवहन विभाग कार्यालयों में अभिलेखों की हमारी जाँच ने दर्शाया कि कुछ मामलों में प्रशमन शुल्क, प्रार्थनापत्र शुल्क, कर, अतिरिक्त कर, परमिट शुल्क, स्वास्थता शुल्क, पंजीयन शुल्क और शास्ति आरोपित नहीं की गयी थी जैसा कि इस अध्याय के अनुवर्ती प्रस्तरों में इंगित किया गया है। ये मामले उदाहरणात्मक हैं तथा हमारे द्वारा की गयी नमूना जाँच पर आधारित हैं। हम अधिकांश प्रेक्षण प्रत्येक वर्ष इंगित करते हैं, परन्तु ऐसी अनियमिततायें न केवल बनी रहती हैं अपितु हमारी लेखापरीक्षा होने तक प्रकाश में नहीं आती हैं। शासन को आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है, जिससे भविष्य में इस तरह की त्रुटियों की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

3.5 परमिट में अनियमिततायें

3.5.1 राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार का नवीनीकरण नहीं किया गया

बिना राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार का नवीनीकरण कराये सड़क पर संचालित पाये गये 47 माल वाहनों से समेकित एवं प्राधिकार शुल्क की धनराशि ₹ 8.23 लाख़ वसूल नहीं किया गया।

मो0या0 अधिनियम की धारा 81 प्रावधानित करती है कि एक परमिट पाँच वर्षों के लिए वैध होता है। फिर भी के0मो0या0 नियमावली के नियम 87(3) के अनुसार राष्ट्रीय परमिट का प्राधिकार एक वर्ष के लिए होता है। परिवहन आयुक्त के फरवरी 2000 के आदेश के अनुसार सम्बन्धित अधिकारी प्राधिकार पत्र के समाप्ति के 15 दिनों के भीतर परमिट धारक से प्राधिकार पत्र नवीनीकरण न कराये जाने पर क्यों न उसका परमिट निरस्त होना चाहिये का स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुये नोटिस निर्गत करेंगे और निर्धारित समय में स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने पर परमिट को निरस्त करेंगे। राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार हेतु प्राधिकार के लिये समेकित फीस ₹ 16,500 वार्षिक के साथ प्रार्थनापत्र शुल्क धनराशि ₹ 1,000 शासकीय खाते में जमा किया जाना था।

हमने मई 2015 और अगस्त 2015 के मध्य 13 सं0प0का0 में से तीन सं0प0का0 (बस्ती, लखनऊ और वाराणसी) की वाहन पत्रावलियों, परमिट रजिस्टर, रसीद बहियों और रोकड़ बहियों की जाँच की और पाया कि जुलाई 2014 से दिसम्बर 2015 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय परमिट से आच्छादित 206 में से 47 माल वाहन परमिट की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद भी राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार का नवीनीकरण कराये बिना, मार्गो पर संचालित हो रहे थे। फलस्वरूप समेकित नवीकरण शुल्क तथा प्रार्थना पत्र शुल्क की धनराशि ₹ 8.23 लाख की वसूली नही की गयी।

यह सभी सूचनायें जैसे प्राधिकार समाप्ति की तिथि, भुगतान किया गया कर तथा राष्ट्रीय परमिट धारक वाहनों के अन्य विवरण वाहन सॉफ्टवेयर पर भी उपलब्ध थीं जिसे वाहनों के विवरण जैसे पंजीयन प्रमाण पत्र, परमिट और कर आदि रखने के लिये प्रकल्पित किया गया था। इन आँकड़ों का विश्लेषण उ0प्र0मो0या0 नियमावली, 1998 के नियम 55(7), 56(7) के अनुसार राज्य स्तर पर परिवहन विभाग के एक अधिकारी को जो उप परिवहन आयुक्त से निम्न श्रेणी का न हो के द्वारा और सम्भागीय परिवहन कार्यालय स्तर पर परिवहन विभाग के सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण का पदेन सचिव द्वारा किया जाना अपेक्षित था। तथापि, विभाग की प्रवर्तन शाखा मो0या0 अधिनियम की धारा 192 के अन्तर्गत न तो इन वाहनों का पता लगा पायी और न ही विभाग ने परमिट के निरस्तीकरण करने हेतु उन परमिट स्वामियों को नोटिस जारी किया। अभिलेखों की भौतिक जाँच एवं डिजिटल आँकड़ों का सूक्ष्म परीक्षण का अभाव था। इस प्रकार उन सं0प0अ0 कार्यालयों में राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार की अनुवर्ती निगरानी हेतु निगरानी तंत्र का अभाव था।

हमने मामले को विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया (मई 2015 से अगस्त 2015)। समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि सम्बन्धित वाहन स्वामियों को नोटिस जारी किया गया है और 18 प्रकरणों में धनराशि ₹ 3.05 लाख की वसूली की जा चुकी है।

3.5.2 स्कूल बसों से परमिट शुल्क वसूल नहीं किया गया

तीन सं0प0का0/स0सं0प0का0 के उप परिक्षेत्रों में 177 स्कूल वाहन बिना परमिट के संचालित थे। परिणामस्वरूप परमिट शुल्क और आवेदन शुल्क ₹ 7.60 लाख़ की वसूली नहीं की गयी।

भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 27/2000 के सन्दर्भ में उ0प्र0मो0या0क0अधिनियम 2000 में यथा संशोधित के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई भी शिक्षण संस्था अपने छात्रों के परिवहन हेतु वाहनों का प्रयोग बिना समुचित परमिट नहीं करेगी। अग्रेतर, उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली, 1998 (31 दिसम्बर 2010 को यथा संशोधित) का नियम 125, नये परमिट के निर्गमन, उसके नवीनीकरण तथा प्रतिहस्ताक्षर करने हेतु ₹ 3,750 तथा प्रार्थना पत्र हेतु शुल्क ₹ 1,000 निर्धारित करता है।

हमने दो सं0प0का0 (बस्ती और लखनऊ) तथा स0सं0प0का0 जौनपुर की वाहन पत्रावलियों, परमिट रजिस्टर एवं वाहन डाटाबेस की जाँच (मई 2015 और जनवरी 2016 के मध्य) की और पाया कि जून 2014 से दिसम्बर 2015 की अवधि में शैक्षणिक संस्थाओं के 281 में से 177 वाहन उप परिक्षेत्रों में बिना परमिट के संचालित थे और अपने पाल्यों की सुरक्षा तथा संरक्षा से समझौता कर रहे थे। फलस्वरूप परमिट शुल्क एवं आवेदन शुल्क ₹ 7.60 लाख की वसूली नहीं की गयी।

हमने मामले को विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया (जुलाई 2015 से फरवरी 2016)। समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि सम्बन्धित वाहन स्वामियों को नोटिस जारी किया गया है और 142 प्रकरणों में ₹ 5.63 लाख की वसूली कर ली गयी है।

3.6 जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों पर अतिरिक्त कर आरोपित नहीं किया गया

नगरीय परिवहन सेवायें लिमिटेड के अन्तर्गत नगर निगम क्षेत्र से बाहर संचालित पायी गयी 84 जे0एन0एन0आर0यू0एम0 बसों पर अतिरिक्त कर ₹ 9.92 करोड़ आरोपित नहीं किया गया।

राज्य परिवहन उपक्रम का कोई परिवहन यान उत्तर प्रदेश के किसी सार्वजनिक स्थान पर तब तक प्रयोग में नहीं लाया जायेगा जब तक कि उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम, 1997 (28 अक्टूबर 2009 को यथा संशोधित) की धारा 6 की उप धारा (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित अतिरिक्त कर का भुगतान न कर दिया गया हो। नगर निगम या नगर पालिका क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत संचालित राज्य परिवहन उपक्रम के वाहन अतिरिक्त कर के भुगतान से मुक्त रहेंगे।

हमने सात[23] सं0प0का0 में से मेरठ सं0प0का0 के मार्ग एवं कर पत्रावलियों और उ0प्र0रा0स0प0नि0 द्वारा प्रस्तुत विवरणियों और चालान की जाँच की (अक्टूबर 2015) और पाया कि फरवरी 2009 से सितम्बर 2015 की अवधि में नगरीय परिवहन सेवायें लिमिटेड के अन्तर्गत 120 जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों में से 84 जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसें नगर निगम क्षेत्र से बाहर संचालित पायी गयीं थीं एवं अतिरिक्त कर ₹ 9.92 करोड़ के भुगतान की दायी थीं। परिवहन अधिकारियों ने इन

[23] आगरा, इलाहाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ एवं वाराणसी

वाहनों पर कोई कार्यवाही, यथा अतिरिक्त कर जमा करने हेतु नोटिस निर्गत करना, विभाग के प्रवर्तन शाखा द्वारा पुलिस की अभिरक्षा में वाहनों को बन्द करना या अतिरिक्त कर जमा न करने के लिये वसूली प्रमाण पत्र निर्गत करना, प्रारम्भ नहीं की। परिणामस्वरूप अतिरिक्त कर ₹ 9.92 करोड़ आरोपित नहीं किया गया।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (फरवरी 2016)। समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने बताया कि वाहन नगर निगम क्षेत्र के अन्दर संचालित हो रहे थे। विभाग का उत्तर इस आधार पर मान्य नहीं है क्योंकि नगर निगम मेरठ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची के अनुसार वाहन नगर निगम क्षेत्र के बाहर संचालित हो रहे थे।

3.7. वाहनों का स्वस्थता प्रमाण पत्र

3.7.1 परिवहन वाहनों के स्वस्थता प्रमाण पत्र का नवीनीकरण न होना

देय कर का भुगतान स्वीकार करते समय कदाचित वैध स्वस्थता प्रमाण पत्र है, की पड़ताल करने की विभाग में कोई प्रणाली नहीं है। 6,304 वाहन बिना वैध स्वस्थता प्रमाण पत्र के संचालित थे और स्वस्थता शुल्क ₹ 35.50 लाख के आरोपण तथा शास्ति ₹ 2.52 करोड़ आरोपण के लिये दायी थे।

मो0या0 अधिनियम की धारा 56 सपठित धारा 84 तथा 86 एवं उसके अधीन निर्मित के0मो0या0 नियमावली, 1989 के नियम 62 के अनुसार कोई परिवहन यान वैध रूप से पंजीकृत नहीं माना जायेगा जब तक कि उसके पास स्वस्थता प्रमाण पत्र न हो। नये पंजीकृत परिवहन यान के सम्बन्ध में जारी स्वस्थता प्रमाण पत्र दो वर्षों के लिए वैध होता है और प्रत्येक वर्ष उसका नवीनीकरण होना अपेक्षित है और विफलता की दशा में उसका परमिट निरस्त हो सकता है अथवा एक निश्चित अवधि के लिये निलम्बित किया जा सकता है। तिपहिया, हल्के, मध्यम एवं भारी वाहनों के लिए निर्धारित जाँच फीस क्रमशः ₹ 100, ₹ 200, ₹ 300 एवं ₹ 400 का भुगतान किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त सभी श्रेणी के वाहनों पर स्वस्थता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु ₹ 100 का नवीनीकरण शुल्क भी आरोपणीय है। चूक की दशा में निर्धारित फीस के बराबर अतिरिक्त धनराशि भी आरोपणीय है। मो0या0 अधिनियम, 1988 की धारा 192 के अन्तर्गत बिना स्वस्थता प्रमाण पत्र के वाहन का संचालन अधिसूचना सं0 1452/30–4–10–172/89 दिनांक 25 अगस्त 2010 के अन्तर्गत ₹ 4,000 की दर से प्रशमन योग्य होता है।

हमने 45 में से 17 सं0प0का0/स0सं0प0का0 के कर पंजिका, वाहन पत्रावलियों, वाहन डाटाबेस, रसीद बहियों एवं रोकड़ बहियों की जाँच की (अप्रैल 2015 और जनवरी 2016 के मध्य) और पाया कि मार्च 2008 और दिसम्बर 2015 के मध्य 12,510 वाहनों में से 6,304 वाहन बिना वैध स्वस्थता प्रमाण पत्र के संचालित थे यद्यपि उनसे देय कर वसूल किया गया था। स्वस्थता समाप्ति से सम्बन्धित सूचना वाहन सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध थी किन्तु विभाग इन प्रकरणों को चिन्हित करने में असफल रहा। वाहन स्वामियों को जहाँ स्वस्थता समाप्त हो चुकी थी, कर भुगतान से रोकने हेतु सॉफ्टवेयर में विशिष्ट गुण उपलब्ध नहीं था। यात्रियों के जीवन को खतरे में डालने के अतिरिक्त इन वाहनों जिनका स्वास्थता प्रमाण पत्र बहुत पहले ही कालातीत हो चुका था, के परमिट को निरस्त करने के लिए नोटिस जारी करने हेतु विभाग ने न तो कोई कार्यवाही प्रारम्भ की और न ही चूककर्ता वाहन स्वामियों पर मो0या0 अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई अर्थदण्ड आरोपित किया। यह स0स0प0अ0(प्रशासन) की जिम्मेदारी थी कि ऐसे वाहनों को चिन्हित करे और प्रवर्तन शाखा के सहयोग से ऐसे वाहनों को रोकें किन्तु वह अपनी जाँच के दौरान ऐसे वाहनों को चिन्हित करने में विफल रहे। ऐसे वाहनों का

संचालन लोक सुरक्षा के साथ समझौता था। ऐसे वाहन स्वस्थता शुल्क ₹ 35.50 लाख तथा शास्ति ₹ 2.52 करोड़ के आरोपण के दायी थे (**परिशिष्ट –XIX**)।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (मई 2015 से फरवरी 2016)। समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि सम्बन्धित वाहन स्वामियों को नोटिस जारी की जा चुकी है और 2,486 प्रकरणों में धनराशि ₹ 14.01 लाख की वसूली की जा चुकी है।

3.7.2 बिना स्वस्थता प्रमाण पत्र के निजी वाहनों का संचालन

जून 2014 से दिसम्बर 2015 के मध्य वैध स्वस्थता प्रमाण पत्र के बिना संचालित 1,805 निजी वाहन स्वस्थता शुल्क ₹ 9.03 लाख़ तथा शास्ति ₹ 72.20 लाख़ आरोपित किये जाने के योग्य थे।

परिवहन आयुक्त कार्यालय के दिनांक 12 दिसम्बर 2005 के आदेशानुसार ओमनी बसों को परिवहन यान की तरह वर्गीकृत किया गया है। चालक को छोड़कर छः सीट से अधिक वाले समस्त वाहनों को परिवहन यान माना जायेगा चाहे संचालित वाहन निजी वाहन के रूप में ही पंजीकृत की गयी हो। चालक को छोड़कर छः सीट से अधिक परन्तु नौ सीट तक प्रत्येक वाहन का अब फिटनेस कराया जाना अनिवार्य हो गया है। इन वाहनों को हल्के वाहन की श्रेणी में रखा गया हैं। मो0या0 अधिनियम की धारा 56 सपठित धारा 84 तथा 86 एवं उसके अधीन निर्मित के0मो0या0 नियमावली, 1989 के नियम 62 के अनुसार कोई परिवहन यान वैध रूप से पंजीकृत नहीं माना जायेगा जब तक कि उसके पास स्वस्थता प्रमाण पत्र न हो। नये पंजीकृत परिवहन यान के सम्बन्ध में जारी स्वस्थता प्रमाण पत्र दो वर्षों के लिए वैध होता है और प्रत्येक वर्ष उसका नवीनीकरण होना अपेक्षित है और विफलता की दशा में उसका परमिट निरस्त हो सकता है अथवा एक निश्चित अवधि के लिये निलम्बित किया जा सकता है। निर्धारित जाँच शुल्क ₹ 200 का भुगतान किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त सभी श्रेणी के वाहनों पर स्वस्थता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु ₹ 100 का नवीनीकरण शुल्क भी आरोपणीय है। चूक की दशा में निर्धारित फीस के बराबर अतिरिक्त धनराशि भी आरोपणीय है। मो0या0 अधिनियम, 1988 की धारा 192 के अन्तर्गत बिना स्वस्थता प्रमाण पत्र के वाहन का संचालन अधिसूचना सं0 1452/30–4–10–172/89 दिनांक 25 अगस्त 2010 में दिये गये ₹ 4,000 की दर से प्रशमन योग्य होता है।

हमने 44 में से 6[24] सं0प0का0/स0सं0प0का0 की कर पंजिका, वाहन पत्रावलियों, वाहन डाटाबेस, रसीद बहियों एवं रोकड़ बहियों की जाँच की (मई 2015 और जनवरी 2016 के मध्य) और पाया कि जून 2014 और दिसम्बर 2015 के मध्य 3,144 वाहनों में से 1,805 वाहन वैध स्वस्थता प्रमाण पत्र के बिना संचालित थे यद्यपि देय कर वसूल किया गया था। यात्रियों के जीवन को खतरे में डालने के अतिरिक्त इन वाहनों जिनका स्वास्थता प्रमाण पत्र बहुत पहले ही कालातीत हो चुका था, के स्वामियों को नोटिस जारी करने हेतु विभाग ने न तो कोई कार्यवाही प्रारम्भ की और न ही चूककर्ता वाहन स्वामियों पर मो0या0 अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई अर्थदण्ड आरोपित किया। आयुक्त, परिवहन विभाग ने भी स्वीकार किया कि ऐसे वाहनों का संचालन लोक सुरक्षा से समझौता था। ऐसे वाहन स्वस्थता शुल्क ₹ 9.03 लाख तथा शास्ति ₹ 72.20 लाख़ के आरोपण के दायी थे।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (जुलाई 2015 और फरवरी 2016 के मध्य)। समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और

[24] अम्बेडकर नगर, जौनपुर, कन्नौज, प्रतापगढ़, बस्ती और लखनऊ

बताया कि सम्बन्धित वाहन स्वामियों को नोटिस जारी किया गया है और 320 प्रकरणों में धनराशि ₹ 1.60 लाख की वसूली कर ली गयी है।

3.8 गैर परिवहन यानों के पंजीयन का नवीनीकरण न कराया जाना

पंजीयन समाप्त हो चुके 1,272 गैर परिवहन यानों के पंजीयन का नवीनीकरण नहीं किया गया। परिणामस्वरूप हरित कर, पुनर्पंजीयन शुल्क, शास्ति, स्वस्थता शुल्क, प्रमाण पत्र शुल्क की धनराशि ₹ 10.64 लाख की वसूली नहीं हुयी।

मो0या0 अधिनियम की धारा 39 के अन्तर्गत प्रत्येक यान का पंजीयन होना आवश्यक है। उक्त अधिनियम की धारा 41 (7) प्राविधानित करती है कि गैर परिवहन यान का पंजीयन 15 वर्ष की अवधि के लिए वैध होता है तथा पंजीयन का नवीनीकरण अनुवर्ती पाँच वर्षों के लिए किया जा सकता है। इसके लिए यान के पुनर्पंजीयन के समय स्वस्थता की जाँच भी अपेक्षित है और इस आशय का प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा जिसके लिए ₹ 200 स्वस्थता प्रमाण पत्र शुल्क और ₹ 100 प्रमाण पत्र निर्गमन के लिए आरोपणीय है। गैर परिवहन हल्के मोटर यान के लिए पुनर्पंजीयन शुल्क ₹ 200 तथा विलम्ब की दशा में अधिनियम की धारा 177 के अधीन ₹ 100 शास्ति भी आरोपणीय है। मो0या0 अधिनियम की धारा 192 के अनुसार यदि यान धारा 39 के प्रावधानों का उल्लघंन करते हुए प्रयोग में लाये जाते हैं तो वह प्रथम अपराध के अर्थदण्ड, जो ₹ पाँच हजार की सीमा तक किन्तु ₹ दो हजार से कम नहीं होगा, से दण्डनीय होगा। अधिसूचना सं0 1587/30–4–2014–8(79)/2013 दिनांक 27 जनवरी 2015 के अनुसार मोटर यान, गैर परिवहन मोटर यान के पुनर्पंजीयन के समय हरित कर, पंजीयन के समय भुगतान किये गये एकबारीय कर का 10 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

हमने 44 में से चार[25] सं0प0का0/स0सं0प0का0 की वाहन पत्रावलियों, वाहन डाटाबेस, रसीद बहियों और रोकड़ बहियों की जाँच किया (मई 2014 से मार्च 2015) और पाया कि 1,799 गैर परिवहन हल्के मोटर यान में से 1,272 यान जुलाई 1998 से दिसम्बर 2000 के दौरान 15 वर्षों के लिए पंजीकृत हुये थे। कथित यानों का पंजीयन जुलाई 2013 से दिसम्बर 2015 के दौरान समाप्त हो गया था लेकिन इनमें से कोई वाहन पुनः पंजीकृत नहीं हुआ। परिणामस्वरूप हरित कर, पुनर्पंजीयन शुल्क, शास्ति, स्वस्थता शुल्क, और प्रमाण पत्र शुल्क धनराशि ₹ 10.64 लाख की वसूली नहीं हुयी।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (जून 2014 से मई 2015)। समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि सम्बन्धित वाहन स्वामियों को नोटिस जारी किया जा चुका है और 155 प्रकरणों में ₹ 1.03 लाख की वसूली कर ली गयी है।

3.9 कैरिज बाई रोड अधिनियम के अन्तर्गत शास्ति का अनारोपण

अधिक भार लदान के जिन 591 वाहनों को जब्त किया गया था उन पर विभाग द्वारा कैरिज बाई रोड अधिनियम के अन्तर्गत शास्ति की धनराशि ₹ 1.42 करोड़ आरोपित नहीं की गयी।

कैरिज बाई रोड अधिनियम, 2007 की धारा 5 (3) निर्दिष्ट करती है कि यदि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या मो0या0 अधिनियम के अधीन इस प्रकार प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी को धारा–4 की उपधारा 8 के उपबन्धों के अतिक्रमण का प्रमाण प्राप्त हुआ है तो वह सामान्य वाहक पर मो0या0 अधिनियम की धारा 194 के अधीन विहित

[25] देवरिया, जौनपुर, बस्ती और लखनऊ

शास्ति अधिरोपित करने के लिये इस तथ्य के होते हुये भी सक्षम होगा कि ऐसी शास्ति यथास्थिति, माल यान के चालक या स्वामी या प्रेषक पर पहले ही अधिरोपित की जा चुकी है और उससे वसूल की जा चुकी है।

सामान्य वाहक के पंजीयन कराने की विफलता के सम्बन्ध में कैरिज बाई रोड अधिनियम, 2007 की धारा 18 (1) प्रावधानित करती है कि यदि कोई धारा 3, धारा 13 के उपबन्धों का या धारा 14 के अन्तर्गत निर्गत किसी अधिसूचना का उलंघन करेगा, वह प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से जो ₹ चार हजार की सीमा तक और दूसरे या पश्चातवर्ती अपराध के लिए जुर्माने जो ₹ सात हजार पाँच सौ की सीमा तक हो सकेगा, से दण्डनीय होगा।

हमने 45 में से 23 सं0प0का0/स0सं0प0का0 की अभियोजन बहियों, अपराध एवं जब्ती पंजिका एवं सम्बन्धित पत्रावलियों की जाँच की (अप्रैल 2015 से फरवरी 2016) और पाया कि अक्टूबर 2013 से दिसम्बर 2015 की अवधि के दौरान 5,711 विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के प्रकरणों में से 591 अधिक भार लदान में जब्त किये गये थे। विभाग ने मो0या0 अधिनियम की धारा 194 के अन्तर्गत ₹ 1.19 करोड़ शास्ति आरोपित किया और वाहनों को अवमुक्त कर दिया। सभी 591 प्रकरणों में कैरिज बाई रोड अधिनियम 2007 की धारा 5 (3) के अन्तर्गत ₹ 1.19 करोड़ शास्ति आरोपित करने के लिये विभाग द्वारा कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी। अग्रेतर, कॉमन कैरियर के रूप में पंजीयन न कराने के लिये कैरिज बाई रोड अधिनियम की धारा 18 (1) के अन्तर्गत इन प्रकरणों में ₹ 23.64 लाख की शास्ति भी आरोपणीय थी। फलस्वरूप शास्ति धनराशि ₹ 1.42 करोड़ आरोपित नहीं की गयी (**परिशिष्ट–XX**)।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (मई 2015 से फरवरी 2016)। समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने बताया कि प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा मो0या0 अधिनियम के अनुसार प्रशमन शुल्क वसूल कर लिया गया था। विभाग ने कै0बा0रो0 अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही न करने के सम्बन्ध में उत्तर नहीं दिया।

3.10 अभ्यर्पित वाहनों से कर/अतिरिक्त कर वसूल न किया जाना

कराधान अधिकारियों ने 763 वाहनों में से 214 वाहनों जो तीन कैलेन्डर माह से अधिक की अवधि के लिए समर्पित किये गये थे, से देय कर/अतिरिक्त कर की धनराशि ₹ 38.95 लाख़ की वसूली नहीं की ।

उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली, 1998 का नियम 22 (अक्टूबर 2009 में संशोधित) प्रावधानित करता है कि जब परिवहन यान स्वामी अपने मोटरयान को एक माह या अधिक अवधि के लिए प्रयोग से बाहर करता है तो कराधान अधिकारी को पंजीयन प्रमाण पत्र, कर प्रमाण पत्र, अतिरिक्त कर प्रमाण पत्र, स्वस्थता प्रमाण पत्र व परमिट, यदि कोई हो, अवश्य अभ्यर्पित करना होगा। कराधान अधिकारी एक कैलेन्डर वर्ष में, तीन कैलेन्डर माह से अधिक, किसी वाहन के प्रयोग न किये जाने की सूचना स्वीकार नहीं करेगा तथापि, यदि वाहन स्वामी निर्धारित शुल्क के साथ कराधान अधिकारी को आवेदन करता है तो सम्बन्धित सम्भाग के सम्भागीय परिवहन अधिकारी तीन कैलेन्डर माह से अधिक की अवधि हेतु अभ्यर्पण स्वीकार कर सकेगा। यदि ऐसा कोई वाहन सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा समर्पण की अवधि में विस्तार की स्वीकृति के बिना एक वर्ष के दौरान तीन कैलेन्डर माह से अधिक अवधि के लिए अभ्यर्पित बना रहता है, तो अभ्यर्पण रद्द माना जायेगा और वाहन स्वामी यथास्थिति कर और अतिरिक्त कर भुगतान करने का उत्तरदायी होगा। पुनश्च, उप नियम (4) में निहित प्रावधानों के अधीन समर्पित वाहन का स्वामी, जिसके वाहन के समर्पण की सूचना को पूर्व में स्वीकार किया जा चुका है, किसी भी कैलेन्डर वर्ष में तीन माह के बाद की अवधि के

लिए कर एवं अतिरिक्त कर का भुगतान करने का दायी होगा चाहे कराधान अधिकारी से अभ्यर्पित दस्तावेज वापस लिए गये हों अथवा नहीं।

हमने 44 में से 10 सं0प0का0/स0सं0प0का0 की अभ्यर्पण पंजिका, वाहन पत्रावलियों, यात्री कर पंजिका और माल कर पंजिका की जाँच की (मई 2015 से जनवरी 2016 के मध्य) और पाया कि जून 2014 से जून 2015 की अवधि के दौरान 763 में से 214 वाहन एक वर्ष में तीन कैलेन्डर माह से अधिक की अवधि के लिए समर्पित थे। यद्यपि सम्बन्धित सं0प0अ0 द्वारा तीन माह से अधिक समर्पण की अवधि के विस्तार को स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी थी, फिर भी कराधान अधिकारियों ने उन पर देय कर/अतिरिक्त कर ₹ 38.95 लाख की वूसली हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की (**परिशिष्ट–XXI**)।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (जून 2015 से फरवरी 2016)। समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि सम्बन्धित वाहन स्वामियों को नोटिस जारी किया जा चुका है और 20 प्रकरणों में ₹ 4.09 लाख की वसूली की जा चुकी है।